

प्रह्लाद

(प्राच्यविद्याओं की त्रैमासिक शोध-पत्रिका)

(हिन्दी-दिवस-विशेषाङ्क)

सम्पादक

डॉ० विष्णुवत्त 'राफेस'

संयुक्त-सम्पादक

डॉ० बिनोबचन्द्र सिन्हा

वर्ष १९८४]

(मार्च से सितम्बर तक)

[अङ्क : २



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

प्रधान संरक्षक

**श्री बलभद्र कुशार हजा
कुलपति**

संरक्षक

**श्री रामप्रसाद मेवालंकार
आचार्य एव उप-कुलपति**

प्रबन्ध सम्पादक

डॉ० राघोलाल बाण्णैय, जनसम्पर्क अधिकारी

व्यवस्थापक

जगदीश विद्यालंकार

प्रकाशक

बीरेंद्र अरोड़ा, कुलसचिव

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या
१—	बैदिक वन्दना	प० सत्यकाम विद्यालंकार	१
२—	सम्पादक की कलम से		२
३—	देश की एकता की कड़ी हिन्दी	पद्मश्री क्षेमचन्द्र 'सुमन'	१०
४—	हिन्दी अभियान की रचनारमक दिशाएँ	डॉ० हरवशाल शर्मा	१५
५—	द्वितीय राजभाषा उद्गं कंसी होगी ?	डॉ० श्रीनारायण चतुर्वेदी	२४
६—	सहस्रि दयानन्द सस्वती और उनका पत्र-साहित्य	डॉ० कमल पु जाणी	३७
७—	सिन्धु-संस्कृति के निर्माता	डॉ० विनोदचन्द्र सिन्हा	४१
८—	बैदिक युग मे प्रजातन्त्र	डॉ० जबरसिंह सेगर	४४
९—	परिसर परिक्रमा		५१
	(अ) संस्कृत-दिवस पर कुलपति जी का भाषण		
	(आ) प्रौढ शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का विवरण	डॉ० त्रिलोक चन्द	५६
	(इ) अनुदान आयोग की अध्यक्ष गुरुकुल मे	श्री भोपाल सिंह	६०
१०—	पुस्तक-समीक्षा	समीक्षक	६१
	(अ) वेदो के राजनीतिक सिद्धान्त	श्री बलभद्र कुमार हूजा	६३
	(आ) संस्कृत काव्यशास्त्र पर भारतीय दर्शन का प्रभाव	डॉ० मानसिंह	६५
	(इ) नागाजुंन	डॉ० विष्णुदत्त 'राकेश'	६७
	(ई) हरिवाणा का हिन्दी साहित्य . उद्भव और विकास	श्रीमती प्रतिमा शर्मा	६९
	(उ) संस्कृत नाटको का जीव-जगत्	डॉ० भारतभूषण विद्यालंकार	७१
	(ऊ) सत्यदेव परिव्राजक ब्यक्तित्व एव साहित्यिक कृतित्व	डॉ० राकेश शास्त्री	७३

संग्रहालय के आरोखे से—

‘प्रह्लाद’ के मुख-पृष्ठ पर अंकित चित्र का विवरण

—सुखबीर सिंह (सहायक क्यूरेटर)

पत्रिका के मुखपृष्ठ पर अंकित चित्र, संग्रहालय में सुरक्षित उस पाषाण-फलक का है जो लदन में भारतोत्सव के अन्तर्गत प्रदर्शनी में रखा गया था। पुरातात्विक दृष्टि से इसका विवरण इस प्रकार है

समुद्र-मन्थन का पाषाण-फलक

नं० ३१८०, समय ६-१०वीं शती, और भार लगभग १३० किलोग्राम है। इस फलक का आकार, आगे की लं० ६३ सेमी० पीछे की लं० ६३ सेमी०, चौ० ३१ सेमी०, ऊँचाई—आगे २८ सेमी०, पीछे २० सेमी० है। पुरातत्व संग्रहालय को यह फलक ग्राम श्रीवरेहोदी (सहारनपुर) से प्राप्त हुआ। इस फलक में कच्छप पर मन्दराचल पर्वत की मशानी है जिसमें शेषनाग रज्जु के स्थान पर लपेटा गया है। फलक में दायी ओर एक देवता और बायी ओर आठ दैत्य खड़े हुए समुद्र का मन्थन कर रहे हैं। फलक में शेषनाग का मुह देवता की ओर तथा पूँछ दैत्यों की ओर स्पष्ट है।

कला की दृष्टि से यह फलक इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र-मन्थन के दृश्य का बहुत ही मनोहारी अंकन किया गया है। संग्रहालय का यह समुद्र-मन्थन का पाषाण-फलक लन्दन में हुए ‘भारत उत्सव’ वर्ष १९८१-८२ में प्रदर्शित किया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिये यह बड़े गौरव की बात है।

समुद्र-मन्थन एक पौराणिक मिथ है। पृथ्वी के उत्थान का श्रेय यदि पौराणिक मिथ में पृथु के गोदोहन के प्रतीक में सुरक्षित है, तो समुद्र-मन्थन द्वारा मानवोपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न इस घटना में सुरक्षित कहा जा सकता है। उत्थान तथा मन्थन की पुरातात्विक धारणाओं का यह एक प्रागैतिहासिक रूप है।

वैदिक वन्दना

ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्
परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।
येन यज्ञस्तायते सप्त होता
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु
(कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥)

यजु० ३४,४

‘येन, अमृतेन इदं भूतं भुवन, भविष्यत् परिगृहीतम्’ जिसके अमृत में वर्तमान, भूत और भविष्यत्—सब कालों का क्रियाशील जगत् परिव्याप्त है, ‘येन यज्ञस्तायते सप्त होता’ जिस अमृत की आहुति से सप्तोन्द्रियों का यज्ञ चलता है, उस सच्चिदानन्द को हम अपना जीवन अर्पित करते हैं ।

जिसके अमृत घर में डूबे, भूत भविष्यत् वर्तमान हैं ।
जिसकी यज्ञवेदि में सारे भुवन अकिञ्चन तृण समान हैं ।
जिसकी ज्वालाओं में तपकर, प्राणी जीवन पाते हैं ।
(उसी देवता के चरणों में हम सब हविष चढ़ाते हैं ।)

(वैदिक वन्दना गीत पृष्ठ ८७)

पण्डित सत्यकाम विद्यालकार

सम्पादक की कलम से

५ अप्रैल १९५४ का दिन भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। इस दिन भारत के अन्तरिक्ष यात्री स्ववाङ्मन लीडर श्री राकेश शर्मा से हिन्दी में बातचीत करते हुए माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था— 'हमारे देश के लोगो की निगाहे, आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारी पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं, आप और आपके सह-अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मात्यंशव और श्री गेन्नादी स्त्रेकालोव की सफलता और सुरक्षित वापसी को प्रार्थना करते हैं। आप सब को मेरी शुभकामनाएँ। जयहिन्द।' इस ऐतिहासिक बातचीत का समापन भी प्रधानमंत्री ने हिन्दी में ही किया। यह घटना एक शुभ लक्षण है और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हिन्दी-संवाद राष्ट्रीय अस्मिता को उजागर करने वाला है, काश हिन्दी की यह दिगन्तव्यापी कीर्ति विश्व के जनमानस में कभी स्थान ग्रहण कर सके। विदेशी भाषा के दीर्घकालीन प्रयोग से हम नितान्त आत्म हीन हुए हैं। जब तक समूचे समाज के परस्पर सामूहिक व्यवहार में विदेशी भाषा रहेगी तब तक हम समृद्ध राष्ट्र के उन्मुक्त वातावरण की कल्पना नहीं कर सकते। आज हिन्दी को महर्षि दयानन्द, महात्मा गांधी, महामना मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन तथा सेठ गोविन्द दास जैसे समर्पित मनीषी व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के साथ जोड़कर उत्तर-दक्षिण को संयुक्त राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए एक सशक्त वाणी दी। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में जब हिन्दी को घोषित किया गया था, उस समय संविधान के निर्माताओं के सामने हिन्दी की व्यापक रूप-रेखा विद्यमान थी, किसी प्रान्त विशेष तक सीमित सीकीर्ण रूप की कल्पना तो आज के राजनीतिज्ञ की उपज है। बंगला, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड आदि क्षेत्रीय भाषा हैं तथापि प्रयोग बाहुल्य की दृष्टि से हिन्दी को समग्र भारत के जनमानस को प्रतिबिम्बित करने में उपयुक्त और सक्षम मानकर सब की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। विदेशी भाषा के माध्यम से शासन का काम काज चलाना स्वदेशी भावना के सर्वथा विपरीत भी है और सांस्कृतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय भी। सम्पर्क सूत्र के रूप में हिन्दी का प्रयोग लम्बे समय से साधु सत भी करते रहे थे। अतः सामान्य जन को एक समन्वित चेतना सूत्र में बाँधने का काम हिन्दी ने किया था। हिन्दी राजभाषा और जनभाषा दोनों रही

है, इसलिए सद्भावना, सौहार्द, समरसता और राष्ट्रीयता के प्रबल संकल्प के साथ भाषाओं के वैविध्य में भी समग्र जनमानस को समेकित करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए तथा उसके अधिकाधिक प्रयोग द्वारा उसके अखिल भारतीय रूप निष्पादन में सहयोग देना चाहिए। 'वन्देमातरम्' के रचयिता श्री बंकिम चन्द ने कहा था—हिन्दी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो लोग एव बन्धन स्थापित कर सकेंगे, वे ही सच्चे भारत बंधु नाम से अभिहित किए जाने योग्य हैं। सभी चेष्टा करें, चाहे कितने ही दिन बाद क्यों न हो, मनोरथ पूर्ण होगा। हिन्दी भाषा में पुरतक और वक्तृता द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों की मंगल साधना कीजिए।'

हिन्दी के राजभाषा विषयक स्वरूप को लेकर केन्द्र में हमेशा बहस छिड़ती रही है। १९४६ की संविधान सभा से लेकर आज तक हिन्दी की स्थिति को विवादास्पद बनाया जाता रहा है। सरदार पटेल की धारणा इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए। २५-११-१९४६ को उन्होंने मगन भाई देसाई के नाम लिखे एक पत्र में कहा था कि राष्ट्र भाषा राजभाषा का अन्तिम निर्णय तो संविधान सभा ने कर लिया है। इसलिए अब तो उस निर्णय पर अमल करना सबका कर्तव्य हो जाता है। राष्ट्रभाषा न तो किसी एक प्रान्त की है। वह तो सारे भारत की भाषा है और इसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसे समझ सकें और अपनाते का गौरव हासिल कर सकें। उक्त परिप्रेक्ष्य में ही संविधान के ३५१ अनुच्छेद को लेना चाहिए।

राजभाषा विभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने सांविधानिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा की प्रगति का विवेचन देते हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनमें उत्साह बढता है। संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग, हिन्दी शिक्षण योजना, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय राजभाषा सेवा गठन तथा १९६३, १९६७ के संशोधित अधिनियमों के तहत भारत सरकार ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में जो कार्य किया है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है। राजभाषा अधिनियम में हिन्दी के प्रयोग के बारे में ३ प्रमुख प्रावधान हैं।

(१) राजभाषा अधिनियम की धारा ३ (३) में उल्लिखित कागजात जैसे— सामान्य आदेश, अधिसूचनाएँ, सकल्प, प्रेस विज्ञप्तियों, ससद के समक्ष

प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात आदि द्विभाषी रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए जाएँ। ८२-८३ में ऐसे कागजातों की संख्या ८०, ७३० थी।

(२) हिन्दी भाषा राज्यों तथा उन राज्यों के साथ जिन्होंने केन्द्र सरकार के साथ हिन्दी में पत्राचार करना स्वीकार किया है, सभी मूल-पत्र हिन्दी में भेजे जाएँ। इन राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। ८३-८३ में ३,६८,६६४ पत्र मूलरूप में हिन्दी में लिखे गए।

(३) हिन्दी में कहीं से भी प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएँ। ८३-८३ में ऐसे २,३२,५०१ पत्रों के जवाब हिन्दी में दिए गए।

इतना होने पर भी राजनीतिक दबावों के कारण हिन्दी तथा नामरीलिपि के दैनन्दिन प्रयोग में बाधा डालने का षडयन्त्र किया जा रहा है, हिन्दी के गढ़ उत्तर-प्रदेश में ही सरकार ने जिद्द पकड़ ली है कि वह उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाकर रहेगी। १९८० से लेकर १९८४ तक सरकार ने तीन-तीन अध्यादेश जारी कर हिन्दी की संवैधानिक स्थिति की मजक उढायी है। विधान सभा को साथे विश्वास में न लेकर राज्यपाल के विशेषाधिकार से उर्दू की प्रतिष्ठा का षडयन्त्र हिन्दी की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। माननीय श्री वासुदेवसिंह जी मंत्री आवकारी-विभाग के विधान सभा में प्रत्यक्ष विरोध के बावजूद यह विधेयक विधान सभा की कार्यसूची में अब भी विद्यमान है। ६ अप्रैल को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा द्वितीय राजभाषा सशोधन अध्यादेश को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी सरकार उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने के प्रति दृढ़ सत्त्व है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री श्री प्रभात शास्त्री ने इस अवसर पर ठीक ही कहा है कि जिस अल्प सख्यक को प्रसन्न करने के लिए सरकार उर्दू को राजभाषा बनाने के लिए हर जायज नाजायज काम करने पर उतारू है, उसके घरों में भी हिन्दी पहुँच गई है। पिछले सैंतीस वर्षों में हिन्दी में सभी लिख पढ़ रहे हैं क्योंकि यह अल्पसख्यक भी मूलतः भारतीय है। भारत की मिट्टी और गड में वह जिये है। वह इस वातावरण में ही रसते-बसते है। लगभग ३०० वर्षों से इन घरों में जमी उर्दू-फारसी का नाम ३७ वर्षों में गायब हो गया है। इसका कारण यह नहीं है कि किसी ने जोर जबरदस्ती की है। वास्तविकता यह है कि यह भाषा, इसके मुहावरे, प्रतीक, बिम्ब सब हिन्दू-मुसलमान दोनों को आनन्द देते है। वस्तुतः सरकार चाहे भी तो इस एक सत्य को काट नहीं सकती और फारसी-अरबी के प्रतीक बिम्ब कभी भी भारतीय आत्मा में धुल-मिल नहीं सकते। उर्दू के नाम पर अकादमियों और विद्यालयों में लूट मची है, उससे कुछ ब्यक्तियों

को लाभ होता रहेगा। उर्दू का हित नहीं होगा। बिहार और उत्तर-प्रदेश की सरकारों का कहना है कि चुनाव के समय कांग्रेस ने उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में स्थान देने का वायदा किया था। पहली बात तो यह है कि ऐसा वायदा क्यों किया गया था जो राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है जिससे तबे भूत खड़े होते हैं, जिससे देश प्रदेश में झगड़े पैदा हो सकते हैं, एक खतरनाक मिसाल खड़ी हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो देश के संविधान और उसके अनुसार बने विधि-विधानों के प्रतिकूल है।'

राजपि टडन के अनन्य सहयोगी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक हिन्दी के वयोवृद्ध विद्वान् पद्मभूषण पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने सरकार से इस विघटनकारी कार्य का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज जो उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने की माँग है वह न तो बहुसंख्यक समाज और इस देश के मूल निवासी मुसलमानों की है और न उनके हित में है। मुस्लिम जनता के लिए यह फ़ारसी बहूल उर्दू उतनी ही जटिल और कठिन है जितनी उनके हिन्दू पड़ोसियों के लिए। यह माँग भारत में बसे उन मुट्ठी भर विदेशी मूल के उच्च वर्ग के मुसलमान आभिजात्य वर्ग की है जिनके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है। वे सामान्यतः नगरों में रहते हैं और उच्च पदों पर हैं। वे प्रभावशाली हैं। उन्हें अरबी, फ़ारसी के विद्वान् उलमाओं का समर्पण प्राप्त है और उलमाओं का प्रभाव अशिक्षित मुसलमान जनता पर है किन्तु वास्तव में यह माँग केवल नगरों के उच्च वर्ग की है जिनका अनुपात मुसलमानों में अधिक से अधिक दस प्रतिशत होगा। १९७५ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात १५ प्रतिशत था। १९८१ की जनगणना के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उनसे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। अतएव उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने की माँग राज्य के केवल डेढ़ प्रतिशत लोगों की माँग मानी जा सकती है।' आगे श्री चतुर्वेदी जी ने सुझाव दिया है कि यदि उर्दू वाले फ़ारसी शब्दों को लेना बन्द कर दें, देशी शब्दों का अधिक इस्तेमाल करें और उर्दू को देवनागरी भाषा में भी लिखने लगे या कम से कम उसमें लिखने का विकल्प या आप्शन दे दें तो आज हिन्दी और उर्दू में जो फर्क है वह धीरे-धीरे दूर हो जायेगा। हिन्दी पर उर्दू का और उर्दू पर हिन्दी का प्रभाव पड़ेगा और धीरे-धीरे एक ऐसी भाषा विकसित हो जायेगी जो वास्तव में मुश्किल होगी और हमारे राज्य में हिन्दी-उर्दू का झगडा इतिहास की एक कड़वी याद भर रह जायेगा।

उर्दू का देशकाल

२६ दिसम्बर १९४७ को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ३५वाँ अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उस अवसर पर हिन्दी साहित्य परिषद् के सभापति पद से

भाषण करते हुए श्री चन्द्रबली पाण्डे ने कहा था—फारसी कविता में लैला मजनू ही नहीं अयाज़-महमूद की भी जोड़ी है। उर्दू को अपनी संस्कृति के कारण इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि उर्दू के एक अल्लामा पंडित उर्दू को हिन्दू सिद्ध करने के लिए इसका एक अजीब उदाहरण घर देते हैं—

खत निकले प बोसये रखे पुरनूर का पाया,
खंरात बरहमन को मिली चाँद गहन से ।

शेर शेख हातिम का है। आप उर्दू की जवान के आदि उस्ताद और हिन्दी भाषा को त्यागने वाले प्रथम वीर हैं। आप किसी दाढ़ी निकालते हुए माथूक का चुम्बन क्या करते हैं, चन्द्रग्रहण में बाह्य का दान पा जाते हैं। परन्तु बाह्य की स्थिति यह है कि न तो उसका पार कोई दडियल अमरद होता है और न वह चन्द्रग्रहण का दान ही लेता है। उर्दू के लोग इसे एज़ियाई शादूरी का गुण बताते हैं पर है यह वास्तव में फारसी और उर्दू की भाती। रही उर्दू की बात। सो उसकी दशा निराली है, मुँह से वह सबकी है पर दिल से इसलाम की और धधे में ईरान की। तभी तो उसके दूसरे उस्ताद 'सौदा' कहते हैं—

गर हो कशिसे शाहे खुरासान तो 'सौदा',
सिजदा न करूँ हिन्द की नापाक जर्मों पर ।

अर्थात्—यदि खुरासान का बादशाह चाहे तो मैं हिन्द की अपवित्र भूमि पर नमाज भी न पढ़ूँ। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ' लिखने वाले इकबाल तक कहते हैं—

है तर्कें बतन सुन्नते महबूब इलाही ।
दे तू भी नबूवत की सदाकत प गवाही ॥
गुप्तार सियासत में बतन और ही कुछ है ।
इरशादे नबूवत में बतन और ही कुछ है ॥

भाव यह कि हिन्दी का देश प्रेम इसलाम के लिए घातक है। अतएव प्रत्येक मुसलमान को उसका परित्याग कर देना चाहिए और नबी के सच्चे मार्ग पर आ जाना चाहिए। राजनीति में देश का अर्थ और होता है और नबी के प्यारो की बोली में और, फिर दोनो को एक क्यों किया जाय ?

तात्पर्य यह कि उर्दू की मर्यादा और उसके संस्कार अभारतीय है। अलाउद्दीन जैसे कट्टर मुस्लिम शासक के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने तो यहाँ

तक कह दिया था कि मैं हिन्दुस्तानी तुर्क हूँ हिन्दवी में बातचीत करूँगा। मिस्र की शक्कर का मुझे क्या पता कि अरबी शॉइ—

तुर्क हिन्दोस्तानियम मन हिन्दुई गोयम जवाव,
शक्करे मिस्री न बारम कज़ अरब गोयम सखुन ।

काश, आज का भारतीय अल्प सख्यक खुसरो को अपना आदर्श बनाकर चला होता ।

दयानन्द और हिन्दी

महर्षि दयानन्द ने हिन्दी को आर्यभाषा घोषित कर हिन्दी के लिए जहाँ नया वैचारिक ऋतिज तैयार किया, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने की प्रेरणा दी वही व्याकरणानुसार भाषा के सस्कार का कार्यकर पुरानी सधुककडी हिन्दी को आधुनिक रूप दिया। उन्होंने कहा था—‘भाई’ मेरी आँखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्या-कुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लगे। जिन्हे सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी वे इस आर्यभाव का सीखना अपना कर्तव्य समझेगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैं।’ हिन्दु पुनर्जागरण काल में संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी उन्होंने हिन्दी में लिखा तथा हिन्दी में व्याख्यान दिए। पंजाब में स्वामी जी तथा पण्डित श्रद्धाराम फुल्लौरी के हिन्दी-प्रचार ने ऐतिहासिक कार्य किया। उर्दू के गढ़ में रोषा गया हिन्दी का विरवा आर्य समाज के प्रवक्तों से आज बट वृक्ष के रूप में लहरा रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने हिन्दी-प्रचार के लिए एक ओर ‘सद्धर्मप्रचारक’ उर्दू से हटाकर हिन्दी में निकाला तो दूसरी ओर गुरुकुल कागडी की स्थापना कर भारतीय प्राच्य ज्ञान परम्परा तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी के विषयों के अध्ययन-अध्यापन के लिए हिन्दी को माध्यम बनाया। श्री गोवर्धन शास्त्री जैसे विद्वानों ने विज्ञान पर उस समय हिन्दी में ग्रन्थ उनकी ही प्रेरणा से लिखे थे। स्वामी जी के सरक्षण में इन्द्र जी ने विजया नामक हिन्दी दैनिक भी निकाला था। महर्षि दयानन्द के जीवनकाल में ही मेरठ से ‘आर्य-समाचार’ नामक पत्र निकलने लगा था। बाद में फर्रुखाबाद से ‘भारत सुदशा प्रवर्तक’ तथा शाहजहाँपुर से ‘आर्य दर्पण’ नामक पत्र भी स्वामी जी की प्रेरणा से निकले। श्री क्षेमचन्द्र जी सुमन ने बड़े विस्तार से पटना कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद से ४ नवम्बर १८६३ को दिए गए भाषण में इस सामग्री पर प्रकाश डाला था।

महात्मा गाँधी ने १९१८ में साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के लिए किए गए सकल्प को चरितार्थ करने के लिए देवदास गाँधी को मद्रास भेजा। इस कार्य में इन्दौर नरेश और सर सेठ हुकमचन्द ने आर्थिक सहायता प्रदान की। महात्मा जी की प्रेरणा से आर्य संघासी सहदेव परिव्राजक मद्रास गये तथा १९१८ के अगस्त में गोखले हाल मद्रास में हिन्दी कक्षाएँ प्रारम्भ की। हिन्दी न जानने वालों के लिए उन्होंने 'हिन्दी की पहली पुस्तक' नाम से एक पाठ्य पुस्तक भी तैयार की १९२१ में गुरुकुल विश्व-विद्यालय के कुलपति तथा सम्प्रति परिदृष्टा डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार ने बगलौर जाकर हिन्दी की कक्षाएँ प्रारम्भ की। उन्ही दिनों उन्होंने 'हाडू लर्न हिन्दी' नामक पुस्तक भी लिखी थी। महाविद्यालय गुरुकुल के स्नातक के०एम० उन्निदामोदरन ने केरल में हिन्दी प्रचार का कार्य किया। उन्होंने रियासत के राजकुमारों को भी हिन्दी-संस्कृत पढाई। कागडी के स्नातक श्री केशव देव विद्यालकार ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की ओर से 'हिन्दी प्रचारक' का प्रकाशन भी कराया। दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर के विद्यार्थी डॉ० एन० चन्दकात मुदलियार ने हिन्दी के लिए बड़ा कार्य किया। कर्नाटक के श्री रामचन्द्र अय्यर ने १९२६-२७ में स्वामी श्रद्धानन्द जी से प्रेरणा लेकर 'कंगेरी' में गुरुकुल की स्थापना की। आन्ध्र के विख्यात साहित्यकार रमेश चौधरी आरियपूडि की प्रारम्भिक शिक्षा तो कागडी में ही हुई थी। हैदराबाद और पंजाब के हिन्दी आन्दोलन में भी गुरुकुल ने हिस्सा लिया है।

तात्पर्य यह कि हिन्दी - प्रचार का अनवरत कार्य महर्षि दयानन्द के अनुयायीयों ने मिशनरी भाव से किया। आर्य समाज से शिक्षित, दीक्षित कार्यकर्त्ता आदि दक्षिण में जाकर हिन्दी-प्रचार न करते तो आज जो रूप दिखाई पड़ रहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

विदेशों में हिन्दी

आजादी के बाद भारतेतरदेशों में भी हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ी है फिजी, मारिशस, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनीदाद, नेपाल, लका, थाईलैण्ड, केनिया, मलेशिया, युगाण्डा, तंजानिया, बंगला देश, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, इंग्लैण्ड, सोवियतसंघ, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैण्ड, चीन, पोलैण्ड, इटली तथा अफगानिस्तान में हिन्दी का प्रवेश पाया जाता है। इनमें से कुछ देशों में हिन्दी का उच्चतर अध्ययन तथा शोध-कार्य भी सम्पन्न हो रहा है। अतः हिन्दी का जो विश्वजनीन रूप निमित्त हो रहा है, उसे ध्यान में रखकर ही हमें अपना मार्गप्रशस्त करना है।

राष्ट्रपति जी को बधाई !

महामहिम राष्ट्रपति श्री जैलसिंह जी ने मैक्सिको तथा अर्जेंटीना की महत्त्वपूर्ण विदेश यात्रा के दौरान अपने सभी भाषण भारत की राजभाषा हिन्दी में दिए। इससे पहली बार हिन्दी को राजकीय दृष्टि से गौरव न मिला। महामहिम राष्ट्रपति जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

प्रह्लाद का यह अंक

गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र तथा कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा ने अधिक परिश्रम कर विश्वविद्यालय को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के बाद इसके शैक्षिक परिवेश को भव्य तथा स्तरीय रूप देने का अभियान चलाया। इसके प्रतिष्ठापक के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी निजता की रक्षा करते हुए योग केन्द्र, प्रौढ शिक्षा, सेवा प्राप्ति योजना आदर्श ग्राम निर्माण योजना तथा आर्य स्वाध्याय केन्द्र की स्थापना के साथ शिक्षा-विभागों में आचार्य तथा प्रवाचकों के नये पदों को सरकारी स्वीकृति प्रदान कराने में भी श्री हूजा के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्हीं की प्रेरणा से वैदिक-पथ का अंग्रेजी, गुरुकुल-पत्रिका (संस्कृत) तथा प्रह्लाद का हिन्दी में प्रकाशन हो रहा है।

प्रह्लाद विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या-विषयो का प्रमुख त्रैमासिक शोधपत्र है। विभिन्न क्षेत्रों के समकालीन साहित्य तथा मानविकी के विषयों के अध्ययन तथा शोधकार्य का आकलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जाना है, इस कार्य में हमें विद्वानों का भरपूर सहयोग मिलेगा।

यह अंक हिन्दी दिवस पर विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस अवसर पर अधिक से अधिक हिन्दी में काम काज करने की शपथ लेकर यदि हम हिन्दी की सार्वदेशिकता स्थापित तथा व्यावहारिक स्तर पर प्रमाणित कर सके तो निश्चय ही भाषिक समस्या का अंतिम निदान ढूँढ सकते हैं। हिन्दी मात्र भाषा नहीं, राष्ट्र की सामाजिक चेतना भी है।

देश की एकता की कड़ी—हिन्दी

पद्यश्री क्षेमचन्द्र 'सुमन'

भारत मूलतः सस्कृति प्रधान देश है। इस देश में अनेक धर्म और भाषाएँ होते हुए भी सस्कृति का ऐसा सूत्र है जो उसे एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। इस एकता के सूत्र की परिपुष्टि करने की दृष्टि से हमारे सतो और सुधारको ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जिस भाषा को अपनाया वह काश्मीर से कन्या-कुमारी तक और राजस्थान से सुदूर पूर्वी अचल तक के भूभाग में समान रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषा थी। इस भाषा को हम हिन्दी के नाम से जानते और समझते हैं। यदि ऐसा न होता तो अतीत काल में जहाँ कबीर, गुरुनानक आदि अनेकों सतो और सुधारको ने इसे अपने विचारों के प्रचार का साधन बनाया वहाँ आधुनिक भारत के अनेक सुधारको ने भी इसे पूर्णतः अपनाया। ऐसे सुधारको में राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सैन, जस्टिस शारदाचरण मिश्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी प्रभृति महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जो समस्त भारतीय जनता को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करती है। चाहे किसी भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भूभाग में चला जाये तो वह टूटी-फूटी हिन्दी के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने में सफल हो सकता है। दूर क्यों जायें, हम महाराष्ट्र की ही बात आपके सामने रखना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी की मातृभाषा मराठी थी। उनके सभी दरबारी महाराष्ट्र के थे और प्रजा भी मराठी बोलने वाली ही थी, किन्तु उन्होंने हिन्दी के समर्थ कवि भूषण को अपने दरबार में अत्यन्त सम्मान का स्थान दिया। यदि उनके दरबार में हिन्दी को समझने और उससे प्रेरणा लेने वाले न होते तो वे ऐसा कदापि न करते। जब वे वेष बदलकर शम्भाजी के साथ दिल्ली से दक्षिण लौटे तब उनके विचारों के प्रचार और प्रसार का माध्यम हिन्दी ही थी।

किसी भी भाषा का अधिकाधिक प्रचार तभी हो सकता है जबकि उसके अधिकांश जनसमुदाय की सांस्कृतिक गरिमा को उनकी अपनी भाषा में प्रस्तुत

किया जाये। इसी बात को दृष्टि में रखकर अंग्रेजों ने हिन्दी को ही अपनाया और ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता के पास सीरामपुर नामक स्थान में एक हिन्दी प्रेस की स्थापना करके उसके द्वारा प्रचुर परिमाण में साहित्य प्रकाशित किया। इधर ईसाई मिशनरी जब अपने विचारों का प्रचार हिन्दी में कर रहे थे तब केशवचन्द्र सैन, स्वामी दयानन्द और नवीनचन्द्र राय जैसे सुधारकों ने भी अपने विचारों के प्रचार के लिए हिन्दी को ही अपनाया। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि उक्त तीनों महानुभावों में से पहले दो बंगाली और तीसरे गुजराती थे।

महात्मा गांधी के देश के राष्ट्रीय जागरण में योगदान देने के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता की कड़ी के रूप में हिन्दी का जो महत्त्व स्थापित हुआ वह भी कन उल्लेखनीय नहीं। गांधीजी ने अपने विचारों के प्रचार के लिये न केवल हिन्दी को अपनाया बल्कि वे दो बार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ देश की एकता के लिए हिन्दी के महत्त्व को इस सीमा तक अनुभव किया कि उन्होंने सुदूर दक्षिण में मद्रास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना भी की। इस सभा के माध्यम से दक्षिण में जहाँ स्वाधीनता आन्दोलन के लिए अनेक कार्यकर्ता उन्हे मिले वहाँ हिन्दी के प्रचार को भी उन्होंने 'राष्ट्रीय एकता' का मूल प्रश्न माना। यही नहीं उन्होंने अपने सुपुत्र श्री देवदास गांधी को भी सर्वप्रथम वहाँ हिन्दी-प्रचारक के रूप में भेजा।

यह वह समय था जबकि 'हिन्दी' और 'राष्ट्रीय एकता' दोनों शब्द पर्यायवाची से हो गये थे। दोनों को एक दूसरे में अलग नहीं किया जा सकता था। हिन्दी की यह परम्परा रही है कि जहाँ उसके अनेक लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने देश की स्वतन्त्रता और उसके नव-जागरण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया वहाँ उनके सामने देश की सांस्कृतिक एकता का लक्ष्य भी प्रमुख रहा। यह वह समय था जबकि सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता के इस यज्ञ में जहाँ हिन्दी-भाषी प्रदेशों के अनेक कवि और साहित्यकार अपना सहयोग दे रहे थे वहाँ दूसरे प्रदेशों में भी हिन्दी के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का उद्घोष हो रहा था। इसके साक्ष्य के रूप में हम हिन्दी के पुराने पत्रकार अमृतलाल चक्रवर्ती और विष्णु सखाराम देउसकर के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। अमृतलाल चक्रवर्ती बगभाषी होते हुए भी हिन्दी के 'भारत मित्र' का सम्पादन करते थे और श्री देउसकर ने मराठी होते हुए भी हिन्दी पत्रकारिता को अपने विचारों के प्रचार का साधन बनाया था। बाद में तो यह परम्परा और भी तत्परता से आगे बढ़ी और सर्वश्री माधवराव सप्रे, सिद्धनाथ माधव आगरकर, लक्ष्मणनारायण गर्द, बाबूराम विष्णु पराड़कर तथा रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर जैसे अनेक

महानुभाव मराठीभाषी होते हुए भी हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान बना गये ।

कुछ लोग बंगभाषियों को हिन्दी का विरोधी मानते हैं, लेकिन मेरी ऐसी धारणा नहीं है । हिन्दी के उन्नयन तथा विकास में बंगभाषियों ने जो भूमिका निभायी उसका हिन्दी साहित्य के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । यहाँ यह स्मरणीय है कि सर्वप्रथम हिन्दी पत्रों का प्रकाशन कलकत्ता से ही हुआ और उन पत्रों के संचालक बंगभाषी ही थे । 'भारत मित्र' और 'हिन्दी बंगवासी' अपने समय में ऐसे पत्र थे जिनका अवदान राष्ट्रीय जागरण में बहुत महत्व रखता है । यही नहीं, जस्टिस शारदाचरण मित्र ने तो 'एक लिपि विस्तार परिषद्' के द्वारा 'देवनागर' नामक एक ऐसा पत्र प्रकाशित करके देश की सांस्कृतिक एकता में उल्लेखनीय योगदान दिया जो देवनागरी लिपि में सभी भाषाओं की रचनाओं को प्रकाशित करता था ।

श्री मित्र ने जहाँ 'एक लिपि विस्तार परिषद्' के माध्यम से देवनागरी का प्रचार करने में एक अग्रणी कार्य किया वहाँ कालान्तर में अनेक बंगभाषी विद्वानों ने हिन्दी के ऐसे पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नयन तथा विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है । ऐसे पत्रों में बंगाल 'प्रवासी' के सम्पादक रामानन्द चट्टोपाध्याय द्वारा संचालित 'विशाल भारत' और इण्डियन प्रेस, प्रयाग के संचालक श्री चिंतामणि धोष द्वारा संचालित 'सरस्वती' के नाम प्रमुख हैं । 'सरस्वती' ने जहाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप का निर्माण किया वहीं 'विशाल भारत' के माध्यम से हिन्दी को अनेक लेखक मिले । हिन्दी के महत्व का इससे भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से संचालित उसकी सर्वोच्च परीक्षा 'साहित्य रत्न' जब प्रचलित हुई तब उसके प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों में श्री नलिनीमोहन सान्याल थे । श्री सान्याल ऐसे बंगभाषी सज्जन हैं जिन्होंने न केवल यह परीक्षा ही उत्तीर्ण की वरिष्ठ अपने हिन्दी ज्ञान के अवदान के रूप में महाकवि सूरदास पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखा ।

यदि ठंडे बिल से विचार किया जाये तो हमें यह मानने में कदापि कोई आपत्ति नहीं होगी चाहिए कि हिन्दी ने जहाँ देश की सांस्कृतिक एकता की समृद्धि में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया वहाँ वह राष्ट्रीय जागरण को भी सजाहिका रही है । यदि ऐसा न होता तो हमारे अनेक राष्ट्रीय नेता एक स्वर से उसके महत्व को क्यों स्वीकार करते । स्व० बालगंगाधर तिलक जहाँ हमारी सांस्कृतिक एकता के संवाहक थे वहाँ उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी बड़-बड़ कर भ्राम लिया । उनकी यह भाव्यता थी कि केवल हिन्दी के माध्यम से ही हम

राष्ट्रीयता का मन्त्र देश के कोने-कोने तक पहुँचा सकते हैं। यही क्यों उड़ीसा के गोपबन्धु दास, तमिलनाडु के चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आंध्र के टी० प्रकाशम और असम के श्री गोपीनाथ बरदोलोई भी उन्हीं व्यक्तियों में थे जो हिन्दी के माध्यम से भारतीय एकता को महत्त्व देते थे और उनकी दृष्टि में हिन्दी का प्रचार देश की भावात्मक एकता का एक अंग था।

इस परिप्रेक्ष्य में यदि उर्दू के हिमायतियों के उन तर्कों को ध्यान से देखें जो आज उर्दू को एक स्वतन्त्र भाषा का दर्जा देने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि उर्दू कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं, बल्कि वह तो हिन्दी की ही शैली-मात्र है। यदि उर्दू के लिये देवनागरी लिपि का आश्रय ले लिया जाय तो उसका शैलीगत रूप ज्यों का त्यों बना रह सकेगा। उर्दू के हिमायती यह कैसे भूल जाते हैं कि जिस हिन्दी को जायसी, रहीम, रसखान, आलम, शेख और उसमान जैसे कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया वह क्या केवल हिन्दुओं की भाषा कही जा सकती है? खड़ी बोली हिन्दी के आदिकवि के रूप में जहाँ अमीर खुमरो ने हिन्दी कविता को नये मुहावरे दिये वहाँ सैयद इन्शाअल्ला खा की 'रानी केतकी की कहानी' नामक रचना से हिन्दी कहानी की विधा में एक अभूतपूर्व निखार आया। हिन्दी साहित्य में जहाँ उक्त विभूतियों का विशिष्ट स्थान है वहाँ आधुनिक काल में भी ऐसे अनेक नाम हमारे समक्ष उभर कर आते हैं जिन्होंने जाति और धर्म की दीवार को लाँघकर साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये थे। ऐसे महानुभावों में सैयद अमीर अली मीर, कासिम अली साहित्यालकार, जहूरवक्श हिन्दी कोविद, बन्दे अली फातमी, मुन्शी अजमेरी और नबीवक्श फलक आदि के नाम गौरव के साथ स्मरण किये जा सकते हैं। पिछले तीन दशक में तो हिन्दी के लेखन में अनेक ऐसे मुसलमानों का स्मरणीय योगदान रहा है जिनकी रचना साहित्य का श्रृंगार कही जा सकती है।

भारत एक बहुभाषी देश है। इस देश की सभी भाषाओं और लिपियों को अपने-अपने प्रदेशों में अवश्य बढावा मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक देश की समग्र एकता का सम्बन्ध है उसके लिए हिन्दी ही एक ऐसा माध्यम हो सकती है जिसके द्वारा हम देश की अखण्डता की रक्षा कर सकते हैं। स्वतन्त्रता के लगभग ३७ वर्ष बाद आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इससे इन्कार नहीं कर सकते कि हिन्दी वस्तुतः सारे देश की ही भाषा है। आज हिन्दी में जो लेखन हो रहा है उसमें सभी भाषाओं के लेखकों का योगदान है। इसमें जहाँ अनेक तमिल-भाषी महानुभाव अपना योगदान दे रहे हैं वहाँ केरल, कर्नाटक और आंध्र के लेखकों की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ तक कि बंगाल और असम में भी लेखकों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो हिन्दी-भाषी क्षेत्र के लेखकों की भाँति ही

सहज और सरल हिन्दी लिखने लगी है। गुजरात और महाराष्ट्र इसके अपवाद . कहे जा सकते हैं। यहाँ के लेखकों ने तो अनेक दशकों से हिन्दी लेखन को अपना सांस्कृतिक धर्म ही समझ लिया था। आज ऐसे अनेक लेखक हिन्दी में हैं जिनकी मातृभाषा मराठी और गुजराती है लेकिन उन्हें हम अहिन्दीभाषी हिन्दी लेखक नहीं कहेंगे। सिन्धीभाषी जनता की बात दूसरी है। इनका अपना कोई प्रदेश नहीं है, देश के प्रत्येक भाग में यह देखे जा सकते हैं। लेकिन इतना सब होने हुए भी उनमें भी ऐसे अनेक लेखक हैं जो मूलतः अब हिन्दी में भी लिखने लगे हैं। पंजाब ने तो हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हिन्दी के ऐसे अनेक लेखक पंजाबीभाषी हैं जिनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य का शृंगार हैं। भारत-विभाजन के बाद तो स्थिति यहाँ तक बदल गई कि उर्दू के ऐसे अनेक लेखक हिन्दी में खुले रूप से छपने लगे जिन्हें हिन्दी में नहीं आती। यह भी हिन्दी की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। वैसे पंजाब में आर्यसमाज का प्रचार होने के कारण हिन्दी का प्रचलन पहले से ही था और यही कारण है कि आज हिन्दी के जितने शीर्षस्थ लेखक हैं उनमें पंजाब का योगदान कम नहीं कहा जा सकता। सर्वश्री सत्यदेव परिव्राजक, सन्तराम बी०ए०, सुदर्शन, यशपाल अशक, अजय और मोहन राकेश पंजाब की ही देन हैं।

सांस्कृतिक एकता की कड़ी के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा का इसमें अधिक ज्वलन्त प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रेमचन्द जैसे लेखक को उर्दू में लिखना छोड़कर हिन्दी को अपना पटा। सुदर्शन जैसे हिन्दी कहानीकार भी पहले उर्दू में ही लिखते थे। बगभाषी हेमन्तकुमारी चौधुरानी ने भी अपनी भाषा को छोड़कर हिन्दी में ही लेखन प्रारम्भ किया था और आज तो यह स्थिति है कि सभी भाषाओं के बोलने वाले हिन्दी को उन्मुक्त मन से अपना रहे हैं। दूर क्यों जाये, हिन्दी के विरोध की आवाज जहाँ से बराबर उठती रही है उसी नगर मद्रास में 'चन्दामामा' जैसी पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जिमके द्वारा देश के हर कोने के बालक लाभान्वित होते हैं। हिन्दी को किसी विशेष प्रदेश या अंचल की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता, वह तो हमारी भावात्मक एकता का एक ऐसा सूत्र है जिसको हम अखिल भारतीय प्रतिष्ठा देकर ही सुदृढ़ बना सकते हैं।

अजय निवास, दिलशाद कॉलोनी
शाहदरा, दिल्ली ११००३२

हिन्दी-अभियान की रचनात्मक दिशाएँ

डा० हरवंशलाल शर्मा
कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

जहाँ तक हिन्दी के विकास और प्रगति का प्रश्न है, वह निश्चय ही शोचनीय है। क्योंकि अब व्यवस्था ने अंग्रेजी लादने की प्रक्रिया उलट दी है। अभी तक हम प्रशासन से अपेक्षा करते थे कि वह जगह-जगह अपने प्रशासनिक सूत्र से हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का कार्य करेगा लेकिन वर्तमान सरकारी नीति से यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। सविधान के प्रावधानों का भी सही-सही पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने जगह-जगह कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति और हिन्दी इकाईयों का संगठन तो किया है, किन्तु ये सारी व्यवस्थाएँ निस्तेज और निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की आवाज़ में कोई बल नहीं है, तथा जिस नौकरशाही के मातहत उन्हें काम करना पड़ता है वह अंग्रेजीपरस्त है और हिन्दी की प्रतिष्ठा करना ही नहीं चाहती। यदि आज यह पूछा जाय कि हिन्दी के विकास की दिशा में कितनी प्रगति हुई है तो प्रशासन इतने कार्य और आँकड़े हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा कि देखने में लगेगा कि वास्तव में हिन्दी की प्रगति तेज हो रही है जबकि वस्तु-स्थिति यह है कि आज से १५ वर्ष पहले हिन्दी जिस तेज गति के साथ बढ़ रही थी, आज उतनी ही तेज गति के साथ पीछे खिसक रही है।

हिन्दी के आधुनिकीकरण के नाम पर भी अंग्रेजी को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से आज जितने काम हो रहे हैं वे सब अंग्रेजी को ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मशीनीकरण की इस चकाचौंध वाली स्थिति से निपटने के लिए हमको कुछ नये मार्ग निकालने होंगे। आज जिस एकरूपता और एकीकरण तथा आशुलेख और टंकण को बहाना बनाकर अंग्रेजी को आगे बढ़ाया जा रहा है वह भयानक है और यदि यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ायी गयी तो सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर हिन्दी अपने आप ही पीछे खिसक जायेगी और उसका विकास ठप पड़ जायेगा। यदि वर्तमान प्रशासन ने राजर्षि टंडन की सलाह मानकर हिन्दी अको को मान्यता दे दी होती तो आज कम्प्यूटर और मशीनीकरण के माध्यम से जो अंग्रेजी अको का बाहुल्य बढ़ रहा है वह रुक जाता। राजर्षि टंडन दूरदर्शी थे इसलिए उन्होंने इस आने वाले सकट को देख

लिया था। यदि हम उस समय जागते रहते और अंग्रेजी अको के माध्यम से अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार इतनी तीव्रगति के साथ न बढ़ पाता। हमें अब इन परिस्थितियों में हिन्दी अको के लिए भी तीव्र संघर्ष करना चाहिए ताकि प्रकारान्तर से अंग्रेजी का आरोपण रोका जा सके।

अनुवाद के क्षेत्र में भी हिन्दी की स्थिति चिन्ताजनक है क्योंकि साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, एन०सी०ई० आर०टी० तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आदि जैसी संस्थाएँ केवल निर्धारित (रूटीन) काम ही करती हैं। उनके सयोजन-नियोजन में न तो राष्ट्रीय दृष्टि दिखलाई पड़ती है और न वह दूरदर्शिता जिसके माध्यम से भारत की समस्त भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ता और हिन्दी को पूर्णरूपेण विकास करने का अवसर मिलता। पिछले बीस वर्षों में हिन्दी का काम केवल औपचारिकता के स्तर तक ही सीमित रहा है और उसका क्रांतिकारी चरित्र दबता जा रहा है। यद्यपि सरकार की यह घोषित नीति है कि कार्यालयों में जहाँ अंग्रेजी में लिखना आवश्यक होगा वहाँ अंग्रेजी मसौदे के साथ हिन्दी का अनुवाद भी लगाया जायेगा किन्तु इस औपचारिकता को भी निभाना कठिन हो गया है। आज तो स्थिति यह है कि हिन्दी में लिखे गये पत्रों के उत्तर भी हमें अंग्रेजी में ही प्राप्त होते हैं।

तकनीकी तथा प्रायोगिक विज्ञान, मेडिसिन, वाणिज्य, कृषि तथा इन्जीनियरिंग आदि विषयों में अभी भी प्रमाणिक ग्रन्थ तैयार नहीं हो पाये हैं जिसका परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों में हिन्दी की पहुँच ही नहीं हो पायी है। इसमें भी सरकार ने यदि दूरदृष्टि से काम लिया होता और हिन्दी की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा इस कार्य को कराया होता तो आज इतनी पाठ्य-पुस्तकें तैयार हो जाती और प्राविधिक शिक्षण में काफी प्रगति हो गयी होती। विधि के क्षेत्र में भी यही विसंगति काम कर रही है। पिछले वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग और प्रचलन को लेकर एक बृहद् गोष्ठी का द्विदिवसीय आयोजन किया था जिसमें ८, १० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और प्रमुख अधिवक्ताओं ने भाग लिया था। वहाँ भी समस्या यह नहीं थी कि हिन्दी में विधि शब्दावली और संवैधानिक मुद्दावारे नहीं हैं, वहाँ प्रायः सभी का मत था कि मुकदमों के फंसले और बहस हिन्दी में इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि प्रशासन और न्यायालयों की ओर से हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यदि संवैधानिक स्तर पर प्रशासन द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया होता तो निश्चय ही आज विधि-क्षेत्र में भी काम काफी आगे बढ़ता।

उपर्युक्त बातों की ओर मैंने संकेतमात्र किया है किन्तु हिन्दी के समर्थन का मुखौटा लगाकर हिन्दी की गति को अवरुद्ध करने की कुचेष्टाएँ अबाधनीय हैं। पिछले कई वर्षों से साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं द्वारा बोलियों को भाषा का स्थान देकर एक विचित्र प्रकार की संक्रमण की स्थिति पैदा की गयी। डोगरी बोली को साहित्य अकादमी द्वारा स्वतंत्र स्थान देने से भारत और विशेषकर हिन्दी-क्षेत्र की बोलियों को गलत प्रोत्साहन मिला। मैथिल बोली को भाषा का स्तर देकर साहित्य अकादमी ने कई क्षेत्रीय बोलियों को उकसाया है। बिहार में भोजपुरी अकादमी का संगठन यद्यपि एक सुखद वस्तु है किन्तु भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी आदि को भाषा का स्थान देना अवैज्ञानिक है क्योंकि भाषा मूल रूप से धर्म, पुराण, संस्कृति और मिथको की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से बनती है और सकी विश्वजनीन चेतना होती है। बोलियाँ एक समृद्ध भाषा की अनेक इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं और उसके सम्पूर्ण स्वरूप को बनाने-सवारने और समृद्ध करने में योग देती हैं। हिन्दी जगत् की भावुकता के आधार पर बोलियों को भाषा का रूप नहीं देना चाहिए किन्तु उन बोलियों के विकास को अवरुद्ध भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी समृद्ध बोलियाँ होगी उतनी ही सशक्त भाषा भी होगी। स्वयं बोलियों के विकास के लिए आवश्यक है कि भाषा की समृद्धता बनी रहे। हमें आशा है कि भाषा के इस जटिल पक्ष पर पुन विचार होगा। साहित्य अकादमी जैसी अनेक संस्थाएँ हैं जो सरकारी और अर्द्ध-सरकारी स्तर पर इस प्रकार का विप बो रही हैं। इस प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए हमें एक कदम उठाना चाहिए।

अभी मैंने नागरी अकों के विषय में कहा। आज नागरी लिपि के महत्त्व और उसकी उपयोगिता को नकारने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वस्तुस्थिति यह है कि सार्वजनिक और प्रशासनिक स्तर पर भारत की विभिन्न भाषाओं के आदान-प्रदान के लिए हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः आज भारत की समस्त भाषाओं में लिपि-भेद होने के कारण ही भाषा-भेद की विघ्नता बढ़ी है। यदि स्वर्गीय गांधी और श्रद्धेय टण्डन जी की बात मानकर देश में प्रशासनिक और सार्वजनिक स्तर पर विभिन्न भाषाओं के साहित्य को मात्र नागरीलिपि में लिपिबद्ध कर दिया जाता तो भाषा की दूरी और पारस्परिक अजनबीपन समाप्त हो जाता। वस्तुतः भारत की समस्त भाषाओं की जड़े संस्कृत भाषा में हैं, उनकी समस्त सस्कारिता भी एक ही धर्म, पुराण, मिथक और लोकतत्वों पर आधारित है। राम, कृष्ण, शिव, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी—इन सबका उल्लेख समान रूप से मिलता है। महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद और उनके नागरीलिपि में प्रकाशन से ये दूरियाँ समाप्त हो सकती थीं। खेद है कि समय रहते हमने इसको कार्यान्वित नहीं किया। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने नागरीलिपि में ही

तेलुगु, कन्नड और तमिल आदि कई भाषाओं के कोश संकलित कराये हैं फिर भी मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि विशेष अनुदान देकर इस दिशा में योजनाबद्ध रूप में लम्बी स्कीम बनाये और केवल कोश ही नहीं, इन भाषाओं के साहित्य को भी अनुदित, रूपांतरित और नागरीलिपि में मुद्रित कराये और देश के समस्त पुस्तकालयों में विशेष कक्ष स्थापित करके सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय को सुलभ कराने की चेष्टा करे, क्योंकि जब भारतीय भाषाओं का नेकट्य स्थापित होगा तब वह साहित्य और सांस्कृतिक वातावरण पैदा होगा जो अपनी देशीय अस्मिता के लिए आतुर होगा और यह आतुरता ही अंग्रेजी को समाप्त करके हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में सहायक होगी।

इसी सन्दर्भ में उर्दू के विषय में भी चर्चा कर देना अप्रासंगिक न होगा। यह बड़े दुःख का विषय है कि उर्दू को देश के राजनैतिक दल केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए समय-समय पर इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं स्वयं उर्दू का प्रबल समर्थक हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि उर्दू हिन्दी की एक शैली है और वह उसी मट्टी से पैदा हुई है जिससे मुरदास, तुलसीदास, अष्टछाप के कवि, बिहारी, और पद्माकर ने जन्म लिया। यदि हमारी सांस्कृतिक दृष्टि सही होती और भारतीय अल्पसंख्यकों को अंग्रेजों और निहित स्वार्थ वालों ने मुमराह न किया होता, तो उर्दू को लेकर यह विषमता पैदा न हुई होती। मीर तक़ी 'मीर' की भाषा को हिन्दी के सिवाय और कुछ कहा नहीं जा सकता। गालिब का पूरा दीवान हिन्दी भाषा और मुहावरों से भरा हुआ है। अनीस के मसिये नितान्त भारतीय वातावरण को चित्रित करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे हसन-हुसेन, ज़नब और हज़रत अली इस देश के नहीं, विदेश के हैं। नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों में हिन्दू-प्रतीकों, त्यौहारों, समारोहों और धार्मिक चरित्रों का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है उस पर हमें गर्व है। हमें इस पूरे साहित्य को नागरीलिपि में प्रकाशित करके उपलब्ध कराना चाहिए और इस बात का आन्दोलन करना चाहिए कि मात्र फ़ारसी लिपि में लिखे जाने से उर्दू हिन्दी से अलग नहीं की जानी चाहिए। साथ ही यह कि उर्दू को नागरी लिपि में लिखने और प्रकाशित करने का आन्दोलन तीव्र करना चाहिए। उर्दू हिन्दी को समृद्ध करने वाली है।

जिस प्रकार उर्दू को राजनैतिक समस्या बनाकर देश के जन-मानस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतीक-स्वरूप अंग्रेजी स्कूलों और कॉन्वेंट स्कूलों द्वारा भी हमारे देश के शिशुओं को अपने ही देश में अजनबी बनाने का षड्यन्त्र चल रहा है। आजादी के पहले अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के अन्तर्गत जो विष बोया गया था वह आज स्वतन्त्रता के ३६ वर्ष बाद अपने विषाक्त रूप में फल रहा है। इन कॉन्वेंट

स्कूलों में देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के विरुद्ध नितान्त विदेशी, मूल्यहीन और विसंगतिपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। यह सब सम्भव इसलिए हो रहा है, क्योंकि देश का सम्पन्न वर्ग उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानता है और प्रशासन भी परोक्ष रूप से उनको प्रोत्साहन देता है। आज जिस तर्क के अन्तर्गत ये प्रशिक्षण संस्थाएँ चल रही हैं वह नितान्त घातक है। इन संस्थाओं का कहना यह है कि 'चूँकि ये संस्थाएँ बिना सरकार से अनुदान लिये प्रशिक्षण करती हैं और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित हैं, इसलिए प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। स्वयं सरकार भी यह कहकर कि ये संस्थाएँ अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हैं, हस्तक्षेप नहीं करती। किन्तु ये दोनों तर्क असंगत हैं। देश में कौन-सी शिक्षा-पद्धति लागू होगी, किस प्रकार की शिक्षा दी जायगी, उनका विषय-सन्दर्भ तथा पाठ्यक्रम आदि क्या होगा, इसको राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होना चाहिए और पूरे देश में, चाहे वे सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएँ हो या सार्वजनिक, उनमें आधारभूत सांस्कृतिक और सामाजिक एकरूपता होनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिये कि प्रशिक्षण में इस एकरूपता का निर्वाह हो रहा है या नहीं और यदि नहीं हो रहा है तो इन शैक्षणिक संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए। यह दुःख की बात है कि जान-बूझकर या अनजाने सरकार इस आधारभूत नीति की उपेक्षा करके अपनी गलत उदारता की दुहाई देती है। सम्प्रति हम सिवाय शाब्दिक विरोध के और कर ही क्या सकते हैं। फिलहाल यदि ये कॉन्वेंट स्कूल वैकल्पिक रूप में हिन्दी के माध्यम से पठन-पाठन की सुविधा विद्यार्थियों को प्रदान करे तो सम्भव है कि यह पनपता हुआ विष कुछ कम हो। इसलिए मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस मञ्च से यह माँग करता हूँ कि कॉन्वेंट स्कूलों को तत्काल ही हिन्दी को वैकल्पिक रूप में अध्ययन करने की छूट देनी चाहिए तथा हिन्दी के माध्यम से भी परीक्षाओं को आयोजित करके अपनी सदाशयता का प्रमाण देना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के मूल्यों का समावेश होना चाहिए।

कॉन्वेंट स्कूलों की पढाई की चर्चा मैंने यो ही नहीं की। वस्तुतः इन स्कूलों का सीधा प्रभाव देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर पड़ता है। कॉन्वेंट स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होने के नाते यह सुगमता रहती है कि वे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी निपुणता दिखा सकें। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने और प्रादेशिक सरकारों ने हिन्दी को एक विषय के रूप में स्वीकार किया है, कहीं-कहीं उसे माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु यह व्यवस्था मात्र औपचारिक है। जबकि आवश्यकता है एक सुवृद्ध नीति की। विषय-ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता और सभी प्रश्न-पत्र और उनके उत्तर भी अनिवार्यतः जब तक हिन्दी में नहीं होंगे, तब तक मात्र हिन्दी को एक

विषय के रूप में स्वीकार करने से उचित फल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए संविधान में उल्लिखित नैसर्गिक अधिकार।

यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता के ३६ वर्ष बाद भी हमारे विदेश मंत्रालयों में व्यवहार की भाषा अंग्रेजी ही बनी हुई है। सर्वधानिक रूप से हिन्दी को जो स्थान प्राप्त है उसके अनुसार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिए। किन्तु हीन भावनाओं से ग्रस्त हमारे भारतीय आफिसर्स और विदेश मंत्रालय आज भी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रभाषा होते हुए भी हम विदेशों में विदेशी भाषा का प्रयोग करके अपने अराष्ट्रीय आचार-विचार का ही पालन करते हैं। सयुक्तराष्ट्र सघ में हिन्दी का अपना पद प्राप्त न कर सकना और अंग्रेजी माध्यम से वहाँ अपना काम चलाना नितान्त अपमानजनक है। इसलिए हम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मञ्च से सरकार से माँग करते हैं कि शीघ्रानिश्चिन्न विदेश मंत्रालयों में हिन्दी माध्यम से काम प्रारम्भ किया जाए और सक्रिय रूप में हिन्दी को सयुक्तराष्ट्र सघ की कार्यालयीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए।

जतनी शक्ति के साथ हमें काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। पिछले ३७ वर्षों की अवधि में हमें देश के भीतर हिन्दी के माध्यम से काय-व्यापार करने में सक्षम होना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए हम यह मान भी लें कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तीव्र गति से हिन्दी को प्रतिष्ठित होना चाहिए था वह सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि उसमें प्रशासन का हाथ था। किन्तु हम सार्वजनिक जीवन में हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने में असफल रहे, यह हमारी अपनी अक्षमता का परिचायक है। यह दुःख की बात है कि उद्योग-व्यापारिक क्षेत्र में हिन्दी पूर्णरूपेण प्रविष्ट नहीं हो पायी है। हमें इस दिशा में एक ठोस कार्यक्रम बनाकर कार्यशील होना चाहिए और अल्प समय में ही उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में योग देना चाहिए। इस दिशा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने पिछले एक वर्ष में कुछ ठोस कदम उठाये हैं। विधि-क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की समस्याओं को लेकर हमने एक बृहद् आयोजन किया था जिसके कुछ महत्वपूर्ण नतीजे भी निकले हैं। इसी क्रम में उद्योग-व्यापार में एक बृहद् गोष्ठी शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली है और हमारा विश्वास है कि इस गोष्ठी से भी सार्वजनिक जीवन में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में विशेष प्रेरणा मिलेगी। मैं हिन्दी की सार्वजनिक समस्याओं से यह अपील करता हूँ कि वे अपने-अपने क्षेत्र में व्यापारियों, नागरिकों, बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों की सभाएँ बुलाकर इस आन्दोलन को गति प्रदान करें।

हिन्दी की संवैधानिक स्थिति के विषय पर भी यहाँ चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी को संविधान में जो स्थान प्राप्त है उसको मिटाने के लिए कुछ तत्त्व क्रियाशील है। हमारी कमजोर राष्ट्रीय नीति के कारण संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हो गये हैं, जिनके कारण हिन्दी को अपना नैतिक पद प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। यह बड़े दुःख का विषय है कि हमारे राजनीतिज्ञों ने संविधान में संशोधन करके भाषा अधिनियम में यह जोड़ दिया है कि यदि देश का कोई भी भाग अंग्रेजी के हटाये जाने का विरोध करेगा, तो अंग्रेजी तब तक बनी रहेगी जब तक वह अल्पमत भी अंग्रेजी हटाये जाने का समर्थन न करे। यह स्वीकृति अपने आप में ही विडम्बनापूर्ण है, क्योंकि यह अल्पमत द्वारा बहुमत का गला दवाना है। देश की षडयन्त्रकारी स्थितियाँ इतनी सशक्त हैं कि वे देश में कभी भी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देगी जिससे पूरा देश सर्वसम्मत रूप से अंग्रेजी का मोह त्याग सके। वस्तुतः यह बहुमत को अल्पमत में बदलने का कुकुर्य है। इसलिए हमारे देश के विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों को कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जिससे अल्पमत का यह कुचक्र समाप्त हो सके और हम इस विडम्बनापूर्ण स्थिति से मुक्ति पा सकें। इस नीति से हिन्दीतर भाषाओं का समुचित विकास भी सम्भव नहीं है। वास्तव में सभी भाषाओं के विकास से ही हिन्दी का सामाजिक रूप विकसित होगा।

संवैधानिक स्तर पर एक और भी समस्या उठ खड़ी हुई है और वह यह है कि शिक्षा के स्तर पर कहीं शिक्षा के क्षेत्र में द्वि-भाषा फार्मूला है और कहीं त्रि-भाषा फार्मूला। विडम्बना तो यह है कि त्रि-भाषा फार्मूला से भी शिक्षा की एकरूपता नष्ट हो रही है और प्रकारान्तर से अंग्रेजी प्रतिष्ठित हो रही है। इसी का यह परिणाम है कि तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य प्रदेशों में त्रि-भाषा फार्मूला के आधार पर अंग्रेजी दूसरी भाषाओं का गला दबाकर हावी है। वस्तुतः त्रिभाषा फार्मूला के आधार पर नीति-निर्धारण होना चाहिए और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य करके देश की किसी अन्य भाषा को विकल्प के रूप में लेने की सुविधा होनी चाहिए। हम महाराष्ट्र सरकार के आभारी हैं कि उसने अपने प्रदेश में हिन्दी को अनिवार्य बनाकर एक समाधान प्रस्तुत किया है। अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों में इसका जितना ही अनुकरण किया जायगा उतना ही श्रेयस्कर होगा। संवैधानिक सन्दर्भ में अरुणाचल और मिजोरम में जो अंग्रेजी को प्रमुखता प्रदान की गयी है वह घातक है, क्योंकि अरुणाचल, मिजोरम और नागालैण्ड की भाषाएँ पूर्णतया विकसित और सुसंस्कृत हैं। अंग्रेजी को प्रधानता देने में वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का हनन हो रहा है। उसे रोकना नितान्त आवश्यक है। मैं सपन्नता हूँ कि इस दिशा में देश की सार्वजनिक संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को एकमत से विरोध करना चाहिये तथा इस अभिशाप से उन प्रदेशों को मुक्त

करके उनको अपना स्वाधिमान और उनकी अपनी स्वायत्तता वापस देनी चाहिए ।

मैंने अभी तक हिन्दी भाषा और उससे सम्बद्ध अनेक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और जगह-जगह आन्दोलन आदि को रेखांकित किया है । ऐसी स्थिति में पूछा जा सकता है कि हिन्दी के सर्वव्यापी प्रयोग के लिए, देश के सभी क्षेत्रों और वर्गों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करणीय कार्य है ? आप स्वयं इसका उत्तर देने में समर्थ हैं । सामान्यतः यह कहना तो सरल है कि हमें अपने कार्य-व्यापार में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए किन्तु मात्र इतने से ही हिन्दी आन्दोलन या हिन्दी का प्रचलन और प्रयोग आगे नहीं बढ़ पायेगा । इसके लिए आवश्यक है कि—

१. आप स्वयं अपने निजी कार्य में हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करें । वैयक्तिक पत्र से लेकर बैंक-व्यापार आदि में भी हिन्दी ही को माध्यम के रूप में स्वीकारें ।

२. दूसरा कार्य यह है कि आप जिस विषय के विशेषज्ञ हो, उसमें ग्रंथों की रचना करके प्रकाशित करें, क्योंकि सामान्य पत्र तो सभी लिख-पढ़ सकते हैं, किन्तु वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ ही लिख सकते हैं । इसलिए विशेषज्ञों की इस दिशा में विशेष जिम्मेदारी है ।

३. जो विसंगतियाँ प्रशासनिक, सर्वधानिक आदि कारणों से पैदा हुई हैं, उनके विरुद्ध प्रबल जन-मत तैयार करें, ताकि बहुत-सी सर्वधानिक अडचनों का जनतांत्रिक हल लोकमत के आधार पर निकल सके ।

४. जहाँ कहीं भी हमें हिन्दी को प्रयोग में लाने का विकल्प प्राप्त हो, वहाँ उसका प्रयोग करें और अंग्रेजी की बरीयता को समाप्त करने में अपना योगदान दें ।

५. कॉन्वेंट स्कूलों का तब तक बहिष्कार करें जब तक कि उन स्कूलों में हिन्दी को वैकल्पिक स्थान प्राप्त न हो ।

६. नागरीलिपि और नागरी अक्षरों को प्रयोग में लाने के लिए सशक्त आन्दोलन चलायें ।

७. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में स्थापित विभिन्न समितियों से सहयोग प्राप्त करके विधि-क्षेत्र, उद्योग-व्यापार-क्षेत्र, शिक्षा-क्षेत्र में जो निर्णय लिये गये हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हों ।

८. क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति उदार होकर उनकी प्रतिभाओं और विशेषताओं को राष्ट्रीय-स्तर पर स्थापित करने की चेष्टा करें।

९. सरकारी और सार्वजनिक-स्तर पर ऐसी अनेक पत्रिकाएँ निकलनी चाहिए जिससे विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं का विस्तृत परिचय और अध्ययन करके, विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान संभव हो सके।

१०. हिन्दी भाषाभाषियों को दक्षिण की किसी न किसी एक भाषा को अनिवार्यतः सीखना चाहिए ताकि अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र के लोगों को विश्वास का आशवासन मिले और सन्देह की भावना नष्ट हो।

द्वितीय राजभाषा उर्दू कैसी होगी ?

पद्मभूषण डा० श्रीनारायण चतुर्वेदी

उर्दू के स्वरूप के बारे में सामान्य लोग ही नहीं हिन्दी के बहुत से विद्वानों को भी म्रम है। वे समझते हैं कि सिनेमा में या लखनऊ आदि बड़े नगरों में जो बोली समाज के एक विशेष स्तर में बोली जाती है, जिसमें बीच-बीच में कुछ चलते हुए फारसी के वे शब्द आ जाते हैं, जिनसे वे परिचित हैं, वही उर्दू है और उसी को द्वितीय राजभाषा बनाने की माँग की जा रही है। हिन्दी के अनेक साहित्यकार उर्दू नहीं पढ़ते। वे यह कह कर सतोष कर लेते हैं कि उर्दू तो हिन्दी की एक श्रृंखला है। उनकी यह गलत धारणा है कि यदि वह देवनागरी लिपि में लिखी जाये तो वे उसे समझ लेंगे। उन्हें यह नहीं मालूम कि आज उर्दू वाले जिसे उर्दू कहते हैं, उसका रूप हिन्दी से कितना भिन्न है, या उसका कितना अधिक फारसीकरण हो गया है। वह हिन्दी से कितनी दूर चली गई है। बहुवचन बनाने आदि में वह फारसी और अरबी के व्याकरण से नियंत्रित होती है। जैसे उसमें 'वकील' का बहुवचन "वकीलो" न होकर "वकला" होता है। जिस उर्दू की माँग की जा रही है वह फारसी से बोझिल है, उसके व्याकरण से बहुत कुछ नियंत्रित है। उसमें उपमा, अलंकार, सदृश फारसी साहित्य या मध्यपूर्व एशिया के हैं। उसका आधार फारसी और मध्यपूर्व एशिया की संस्कृति है। उसमें भारतीय संस्कृति नाममात्र को है। वही उर्दू आज उर्दू लेखकों, भाषण देने वालों और उर्दू का प्रचार करने वालों की निगाह में उर्दू है। उसी उर्दू को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही है। यह भी शर्त है कि वह विदेशी फारसी लिपि में लिखी जाये। राज्य की जनता और हिन्दी के उक्त विद्वानों और सामान्य हिन्दी-शिक्षित लोगों की जानकारी के लिए आज की उर्दू के कुछ नमूने दिये जा रहे हैं। ये नमूने समाचार-पत्रों, कहानियों, उपन्यासों, उर्दू विद्वानों के लेखों और पुस्तकों से लिये गये हैं। इन्हें उन पत्र-पत्रिकाओं और उर्दू के उन मान्य लेखकों की पुस्तकों में लिया गया है जो सहज में मिल गयीं। इन्हें किसी क्रम में छाँटा नहीं गया। उर्दू की जो पुस्तक या पत्र हाथ लगा उसे खोलने पर जो अंश सामने आ गया, वही लिख लिया गया है। कविता चुनने में ध्यान रखा गया है कि प्रसिद्ध हिन्दू-मुसलमान उर्दू कवियों की कविताओं से कुछ पवित्रियाँ दे दी जाये।

समाचारपत्रों, कहानियों और उपन्यासों में सभी लेखक भरसक सरल भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इन्हें विद्वान ही नहीं, कम शिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। पहले सरल उर्दू के नमूने, फिर विद्वानों की कविता और 'स्टैण्डर्ड' उर्दू गद्य के नमूने देखिये।

उर्दू समाचारपत्रों के शीर्षकों की भाषा के उदाहरण—

१. हुकूमत मजदूरों के हुकूमत ग़सब कर रही है।

—सियासत जदीद, २६-२-५२

२. अमन के नाम पर इस्तेआल फैलाने की दिल-आजार कोशिशें।

—ब्लिट्ज़ उर्दू, २७-२-५२

३. हिज्बे मुखालिफ़ के इत्तेहाद के इम्कानात मादूम। जान्ता कमेटी तोड़ दी गई।

—कौमी आवाज़, २४-२-५२

उर्दू समाचारों की भाषा के कुछ नमूने—

लोक दल के तीन पार्टियों के तालमेल के तोड़ देने के एकतर्फी फ़ैसले ने हिज्बे मुखालिफ़ के इत्तेहाद के इम्कानात मज्दीद मादूम हो गये हैं।

—कौमी आवाज़, २४-२-५२

मोआहदये शिम्ला के जरिये दोनों मुमलिकत ने बाहम जग न करने का अह्द कर लिया है। नाजम मोआहदे की तजवीज़ हिन्दोस्तान के अफसर व खयालात का आईना है।

—कौमी आवाज़, २७-२-५२

नई देहली—२५ फ़रवरी आज लोकसभा में ... हुकूमत की तरफ से मजदूरों के खिलाफ़ किये जाने वाले मोअयना सक्त इकदामात पर एहतेजाज़ करते हुए हिज्बे मुखालिफ़ से तआल्लुक रखने वाले अराकीन बड़ी तादाद में एवान से वाकआउट कर गये।

—सियासत जदीद, २६-२-५२

कलकत्ते की अमन की फ़जा की परागदा करने की कोशिशों की गयी लेकिन शुक्र है जिसे बांया बाजू हुकूमत ने बर वक्त मुदाख़लत करके नाकाम कर दिया।

ब्लिट्ज़ उर्दू एडीशन, २७-२-५२

यूनियनसिस्टियाँ अबाबे कमाल को ऐसी डिग्रियाँ देकर अपने वज़न व बकार में इज़ाफ़ा करती है। कश्मीर यूनीवर्सिटी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि

इलम व फन के एक सीमुर्ग के एक हुमा और खुशकलानी व शेवा बयानी के एक अन्दलीब को अपने हल्के मे लेकर अपनी तौकीर बढाई बर्ना भोलानाथे मुहतरम के हत्थे का शहबाज एक ऐसे सदत्तुलमुतहा पर बैठ चुका है जहाँ इनको किसी कत्गी की जरूरत नहीं था वह कंसी ही जूरीं और मुकल्लल हो ।

—“मुआरिफ” १६८१ (गुशुरात)

मजहब की तबदीली के हालिया वाक्यात का तआल्लुक अक़ायद से नहीं है । यह वाक्यात समाज के खिलाफ एक बगावत की हैसियत रखते है और इम बगावत को रोकने के लिये इसके अस्वाव को खत्म करना होगा ।

—कौमी आवाज़ एडीटोरियल, २४-२-२२

अब कहानियों और उपन्यासों की भाषा के नमूने देखिये—

शाहीन खूबसूरती से ज़्यादा ज़ेहानत के लेहाज से दिलचस्पी की मुस्तहर थी । वह होनहार, हँसमुख, हाज़िरजबाब और बहुत ज़्यादा जिद्दतपसन्द थी । हर नई चीज पर मिटना उसकी फितरत में शामिल था । वह नये अन्दाज़ से अपने को सवारना पसंद करती थी । मशिरकी माहिल मे जहाँ लम्बे बालों को ही खूबसूरती खयाल किया जाता है उसने बाल कटवाने का जुरअतमदाना एकदाम किया । तान व तशनीअ की कतई परवाह नहीं की ।

—नया दौर, दिसम्बर १६८१

मियां ‘आज़ाद’ जब घर से निकले गिगिट की तरह रंग बदलते रहे । कभी दर्वेश शेखूखत पनाह, वली अल्लाह, आरिफ-ब-अल्लाह, हक़ अगाह, मशी-खत दस्तगाह, कभी जुरआ-नोश, मगबचें बादा फरोश, रिन्दे आशाम, सुबह को शराब, शाम को जाम, कभी पहलवान कभी फिकैन बन गये ।

—फ़सानेय आज़ाद

कमलादेवी अलाउद्दीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है— “नहीं हज़ूर मैं कुफ़राने नेमत नहीं कर सकती । मगर यहाँ महाराज का शुक्रिया अदा करने की जरूर जुरअत करती मगर मेरी खुशक जबान, मेरे परेशान हवास और उदू जबान से मेरी नावाक्फ़यत मुशको जबान खोलने की इजाज़त नहीं देती ।”

मोहम्मद अली तबीब-खिअबॉ देवलदेवी

‘काले खा की कुर्बानी अमरकान्त की जिदगी का शीराज़ बन गई । इसमे तडपन न थी, बेकरारी न थी, इस्तेहकाम न था, फ़ोरी तग़ युरात के शोके इसके बर्कों को परेशान करते रहते थे । इस शीराज़ ने इसमे तबाजुन और दिली मुतावक़त पैदा कर दी ।”

—मुंशी प्रेमचन्द —मैदान अमली

अब सामान्य उर्दू गद्य साहित्य के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

अदब खयाल और जवान की एक ऐसी तखलीकी इकाई का नाम है जिससे मसरत के साथ बसीरत हासिल होती है। अदब में जमालियाती कंफ़ीयत जज्वाती और तखलीकी अन्सर की आमेज़िश से पैदा होती है और इसका इज़हार जवान की मजाज़ी शक्लो यानी तश्वीह, इस्तयारा, पैकर, अलामत, कनाया, मजाज, रसल और दूसरे तखलीकी रिश्तो के जरिये जाहिर होता है।

‘शायर’ उर्दू के मुक़तदर जरीदों में से एक हैं। इसे उर्दू तहजीब नुमायन्दा कहना गलत न होगा। ‘शायर’ उर्दू अदब की ख़िदमत और तरक्की व तर्बीज की एक रवायत का नाम है जिसकी इस्तदा १९३० में हुई। यह एक अदब-आफी जरीदा है जिसके इजराज के बाद से इसने न सिर्फ़ आला व सेहतमद अदब शायी किया बल्कि शायरो और अदीबो की मुतअद्दद नस्लो की तरबीयत व तरक्की में मुवानत की। आगाज़ ‘शायर’ से किया।

—‘आजकल’, दिसम्बर १९५१ ‘कु वरसेन’

—रिवियु माहनामा ‘शायर’ ख़ास नम्बर १९५०

‘शेष ता’ ने जिन शोअरा की तारीफ़ की है इनमें से बेश्तर वही है जिनकी तारीफ़ आज तक तमाम सुखन-संज व सुखन-फहम नक्काद करते चले आये हैं लेकिन बाज की तारीफ़ के सिलसिले में ‘शेष ता’ ने जो सीगे अफज़ल-उल्-मुतफ़ज़ल के इस्तेमाल किये हैं वह उनके हरीफ़ों के लिये तो सज़िल थे ही लेकिन ऐसा मान्य होता है कि ख़ुद इनके मम्दूहीन को भी इसका एहसास हो गया था कि “रकाब किज़् उल्सलान की बोसा-देही के लिये कुर्सीएनुह-फ़लक ज़ेर पाये अन्देशा” रख़ दी गई है।

(ख़ालिद हुसेन ‘कादरी’)

—मआरिफ, फरवरी १९५२

मुतअद्दद मम्सूत व जख़्तुतो का कमाहका पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं। अहले-जवान को भी इससे ओहदा-बरआ होना मुश्किल है चेजाये कि किसी मग़िरबी से यह तबक को की जाय कि वह हफ़्ते-हफ़्ते इसे पढ़कर इस करार-बाकई तौर पर इस्तेबराज व इन्बिसात कर सकेगा।

(ख़ालिद हुसेन ‘कादरी’)

—मआरिफ, फरवरी १९५२

उर्दू साहित्य और काव्य के कुछ नमूने—

करता है तो तँ सवादनामा यूँ हफ़्ते है नक़्श पाये ख़ामा
यह दामने दश्ते शौक का ख़ार यानी ताज़उलमुलूक दिल ज़ार

एक जंगले में जा पड़ा जहाँ गर्द सैहराय अदम भी था जहाँ गर्द
(गुलज़ार नसीम—पं० दयाशंकर कौल)

गुमा आबाद हस्ती में यकी मर्दे मुसलमा का
बयाबां की शबे तारीक मे कंदील रहबानी
मिटाया क्रूसरो कसरा के इस्तिब्दाद को जिसने
वह क्या था जोर हैदर, फुके बूज़र, सिद्के सलमानी ॥
- इकबाल

गुबार आलूदए रंगो नसब है बालो पर तेरे
तु ऐ मुग्ँ हरम उडने से पहले पर-फिशां होजा
खुदी में दूब जा गाफ़िल यह सरें ज़िन्दगानी है
निकल कर हल्कए शामो सहर से जाविदां होजा ॥
—इकबाल

इसमे खूबी सी कुछ आईने मुकाफात की थी
कुछ जुनूखेज बगावत सी भी जज्बात की थी
इक फ़र्सू-साज बरारत सी कुछ रात की थी
वर्ना उसको न मुझीको खबर इस बात की थी
कि यह रात मुक़द्दर में मुलाकात की थी
ठडी काफ़ी —आनन्द नरायन 'मुल्ला'

'रामायन का एक सीन'

रुख़सत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम
राहे बफ़ा की मख़िले अब्बल हुआ तमाम
मज़ूर था जो माँ की जियारत का एहतमाम
आँखो से अक्क पोछ के दिल से किया कलाम
आख़िर है कुछ हद्दे सितमो जुल्मो जौर भी
हमको उदास देख के नम होना और भी
ऐ खाके हिन्द तेरी अजमत मे क्या गुमा है
दरयाए फ़ाँजे कुदरत तेरे लिये रबा है ।
तेरी जबी से नूरे हुस्ने अजल अर्या है
अल्लाह रे जे बो ज़ीनत क्या औजे इज्जोशां है
हर मुबह है यह खिदमत खुर्नेद पुर जिया की
किनों से गुंघता है चोटी हिमालिया की
—बुज नरायन 'चकवस्त' लखनवी

तोड़ी कलाई जुल्म की जिन्दा के दर खुले
जजीर कट के गिर गई बावे असर खुले
बसों के बाद बुत-शिकन ओ हकनिगर खुले
ये जिसकी आरजू में वह राजे सहर खुले
खुबू धुली फजाओ मे दिल शाद हो गये
गुलशन के फूल कंद से आजाद हो गये

वह बन्देमातरम की सदा वह सभों का जोश
टकरा गये पहाड से गाँजी व सरफरोश
हैरत से देखती रही दुनिया अलम बदोश
एक मर्दे बावफा का वह अन्दाज फिक्रो होश
पसपा किया हरीफ को हर हर महाज पर
लड़ता रहा निहत्था वह दुश्मन से बेखतर

(वकार 'नासरी' —नयादौर, १९८१)

खालिके नक़्शैय फिर्से बरी शाहजहाँ
तुझ पे रोशन ये यह असरारे हकीकत शायद
वक़्त है अस्ल मे एक संले रवाँ तेज कदम
जिसकी एक लहर में एक मौज मे बहे जाते हैं
सरबतो दीलतो इकबालो जफर जाहो हशम
जिदगी हुस्नो तवानाई, जबानी दम खम
तूने इन आर्जी चेहरो से तगाफुज बर्ता
कुछ न सम्झा इन्हे रंगीन फरेबो के सिवा
और यह चाहा कि इसी कारगहे फानी मे
तेरे दर्दे गुमे पिन्हीं को मिले उम्मे दवाम
हर तक जिदा ओ पाइन्दा रहे इश्क का नाम

(आलम 'फतेहपुरी'—नयादौर, सितम्बर १९८१)

उर्दू के इन उदाहरणों से हिन्दी वालों को कुछ आभास हो जायगा कि किस "उर्दू" भाषा को भारत के इस हृदय-देश में द्वितीय राजभाषा बनाकर उसे ८५ प्रतिशत जनता पर लादने का प्रयत्न किया जा रहा है। द्वितीय राजभाषा बनने पर सरकारी नौकरियों में ही नहीं, म्यूनिसिपैलिटियों, नोटिफाइड और टाउन एरियाओं, यहाँ तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों और ग्राम सभाओं में कुछ लोग इस उर्दू के उपयोग की माँग कर सकते हैं, और द्वितीय राजभाषा होने के कारण उसका उपयोग करने से मना नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार द्वितीय राजभाषा के रूप में यह सभी को पढ़नी होगी। यही नहीं, उर्दू वाले इसे

फ़ारसी लिपि में लिखने की अनिवार्य शर्तें लगाते हैं। इसलिये हमारे राज्य में उर्दू भाषा ही नहीं, फ़ारसी लिपि भी सीखना प्रायः अनिवार्य हो जायगा। द्वितीय राजभाषा होने के कारण शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड को उसका पढ़ना अनिवार्य करना होगा तथा परीक्षाओं के सब प्रश्न-पत्र उर्दू में भी छापने पड़ेगे नहीं तो “माइनारिटीज” के हितों की रक्षा न हो सकेगी।

हमारे मंत्री, विधायक, नौकरशाह, अधिकारी, कर्मचारी इन नमूनों को पढ़कर देखें कि वे इस भाषा को कितना समझ सकते हैं। उन्हें यह भाषा सीखनी होगी, यदि न भी सीखें तो विधान सभा में उर्दू के भाषण या वित्तपत्रियाँ समझने के लिए उन्हें एक “फ़ारसी-हिन्दी” कोश की आवश्यकता होगी। विधान सभा और शासन का काम ठीक तरह से चलाने के लिये वित्त मंत्री को एक ऐसा बृहद् “फ़ारसी-हिन्दी” कोश तैयार कराकर मंत्रियों, मंत्रियों के सहायकों, सचिवों से लेकर सहायक सचिवों, विधायकों और राज्य के विभिन्न विधायकों को देना होगा। फ़ारसी कोश इसलिए आवश्यक होगा कि क्रियाओं, विभक्तियों और सर्वनामों तथा कुछ संज्ञाओं को छोड़कर इसमें अधिकांश फ़ारसी शब्द ही होते हैं। हिन्दी जानने वाले उन्हें तभी समझ सकेंगे जब उन्हें उनका अर्थ हिन्दी में बताया जाय। मैं थोड़ी उर्दू जानता हूँ किन्तु इन नमूनों के अनेक शब्द मुझे ‘लुप्त’ में देखने पड़े। एक नमूने में “जरी” और मुकल्लल” आया। “जरी” के अर्थ तो मैंने लगा लिए पर “मुकल्लल” ने मुझे एकदम परास्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से और प्रयास के बाद मालूम हुआ कि उसके अर्थ “जडाऊ” (जिसमें नग या रत्न जड़े हो) है। ‘जडाऊ गहने’ साधारण लोग समझ लेते हैं। किन्तु ‘जडाऊ’ ‘गैवारू’ शब्द है। वह शाही जवान फ़ारसी में “फिट” नहीं बैठता, इसलिये “मुकल्लल” इस्तेमाल किया गया। स्कूली जीवन में मेरे उर्दू पढ़ने वाले साथियों ने उर्दू ली थी। उनकी उर्दू की किताब में एक बहिया जेर था, जिसे वे बहुधा सुनाया करते थे :—

पशे, से साबे शेब-ए-मदानगी कोई

जब क़स्दे-खूँ को आये तो पहले पुकार दे।

तब मेरी समझ में नहीं आता था कि शायर ने “मच्छर” ऐसे शब्द के लिए “पशे” का क्यो उपयोग किया है। अब समझने लगा हूँ कि वही उर्दू है जिसमें इस देश के शब्द कम से कम उपयोग में लाये जाये और विदेशी भाषा फ़ारसी के अधिक से अधिक शब्द लाये जायें।

इस राज्य की जनता का ध्यान एक ओर बात की ओर दिलाना आवश्यक है। उर्दू हमें कितना अभारतीय बना देती है, उसका एक नमूना भी इन नमूनों

में है। पंडित बिरज नारायण 'चक्रवर्त' शायद कौम से "बिरहमन" थे और नाम से मालूम पड़ता है कि उनका मूहव हिन्दू था। वे उर्दू के बहुत बड़े "कौमी शायर" थे। उन्होंने एक नज़्म भगवान रामचन्द्र जी पर भी लिखने की मेहर-बानी की। उसमें भगवान रामचन्द्र जी बनवास पर जाने के लिए अपने पिता महाराज दशरथ से विदा होकर अपनी माता के पास जा रहे हैं। पंडित जी ने उसे इस तरह अदा किया है—

“रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम”

गद्य में इसका अन्वय होगा “वह (राम) बाप से खुदा का नाम लेकर रुखसत (विदा) हुआ”। यहाँ आदरसूचक 'रुखसत हुए' न कहकर कुली-कबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एकवचन का उपयोग किया गया है। यह हिन्दुओं के आराध्य के प्रति कितनी अशिष्टता और अवमानना है? दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह “लेकर खुदा का नाम” है। हमारे भगवान रामचन्द्र जी के मुँह में “खुदा का नाम” निकलवाना शायर की शिष्टता और सस्कृति है।

सब लाल बदवशाँ से लिये दुरें अदन से

यहाँ मध्यपूर्व की संस्कृति बोल रही है। जनाब चक्रवर्त को सीता जी के ओठों की उपमा बदवशाँ के लाल (माणिक) और दाँतों की उपमा अदन के मोतियों (दुर) से देने की सूझी। उन्हें कोई भारतीय उपमा नहीं मिली। मिलती कैसे? उर्दू साहित्य, पढ़ने वाले को मध्यपूर्व एशिया की संस्कृति सिखाता और उसमें दीक्षित कर देता है। वह भारतीयता से कट जाता है। यह ऐसा विषय है जिसे विस्तार से ब्रह्म में लिखा जायेगा। इस राज्य के नागरिक को हम मस्तिष्क और भावना से भारतीय बनाना चाहते हैं या मध्यपूर्व एशिया का निवासी?

किन्तु इस समय पाठक यह देखें कि जिस भाषा को हम पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है और क्या वह हमारे और हमारी सतान की उन्नति में बाधक होगी या साधक?

कुछ प्रश्न

उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के समर्थकों से मैं बड़ी विनम्रता के साथ कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उत्तर देते समय यह याद रखिये कि यदि उर्दू को द्वितीय राजभाषा बना दिया गया तो (१) सरकारी कामकाज फारसी लिपि में इसी उर्दू में करना होगा जिसके कुछ सामान्य उदाहरण दिये जा चुके हैं। अधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर इसी भाषा और लिपि को पढ़ने और लिखने और बोलने को बाध्य होंगे, (२) सरकारी सेवा में द्वितीय राजभाषा

उर्दू का उक्त स्तर का ज्ञान और कार्यकुशलता अनिवार्य कर दी जायगी, (३) राज्य की द्वितीय भाषा होने के कारण हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों में उक्त प्रकार की उर्दू का पढ़ना तथा फ़ारसी लिपि में उसका लिखना अनिवार्य कर दिया जायगा, (४) विधान मंडलों में जो सदस्य चाहेंगे वे उसी में बोल सकेंगे। उनके भाषण फ़ारसी लिपि में आशुलिपि में लिखे जायेंगे तथा विधान मंडलों की कार्यवाही में इसी लिपि में छापे जायेंगे। प्रश्न भी उसी उर्दू में किये जा सकेंगे और मंत्रियों को उनके उत्तर भी इसी भाषा में देने होंगे, (५) सरकार की सब विज्ञप्तियाँ, आदेश, रिपोर्टें, बजट, राज्यपाल का भाषण तथा अन्य सभी प्रकाशन इसी उर्दू भाषा और फ़ारसी लिपि में भी प्रकाशित करने होंगे।

मेरा पहला प्रश्न मंत्रियों और विधायकों से है।

क्या आप उपर्युक्त स्तर की उर्दू में दिये गये भाषणों को ठीक तरह से समझ सकेंगे? यदि ठीक तरह से न समझ सकें तो उनका उत्तर कैसे देंगे? उर्दू प्रश्नों का उत्तर उर्दू में ही देना होगा। क्या आप यह उर्दू बोल सकेंगे? यदि आप उर्दू भाषी विधायकों को अपनी बात समझाना चाहेंगे तो क्या आप उसे ऐसी उर्दू में कह सकेंगे जिसे वे बोलते या समझते हैं? अथवा सयुक्त राष्ट्र सभ की तरह आप ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि आप जो कुछ हिन्दी में कहें वह आपके कहने के साथ ही अनुवादित होकर उर्दू भाषी विधायकों को उर्दू में सुनाई पड़े? क्या आपके पास ऐसे साधन और ऐसे आशु अनुवादक हैं जिनका इस उर्दू और हिन्दी पर समान अधिकार हो? अध्यक्ष की भी कभी-कभी ऐसी भाषा में ही बोलना होगा और उनके व्यवस्था आदि देने के लिए ऐसा ही तात्कालिक अनुवाद का प्रबन्ध करना होगा। क्या यह सब हो सकेगा?

मेरा दूसरा प्रश्न उत्तर-प्रदेश के ६५-६६ प्रतिशत हिन्दीभाषियों, बुद्धिजीवियों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों से है। क्या आप अपने बच्चों को यह अतिरिक्त भाषा पढ़ाने को और फ़ारसी लिपि सिखाने को तैयार हैं? इस उर्दू और फ़ारसी लिपि को सीखने तथा इसमें परीक्षा देने के लिए उन्हें कितना परिश्रम करना होगा, इसका आपको अनुमान है? क्या वे वर्तमान विषयों के अतिरिक्त इस भाषा के लिखने-पढ़ने का बोझ सहन कर सकेंगे?

तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से है। क्या आप लोग इस भाषा को, जिसके नमूने दिये गये हैं, पढ़ने और फ़ारसी लिपि को शुद्ध रूप से लिखने की कुशलता प्राप्त करने को तैयार हैं? यदि उर्दू द्वितीय राजभाषा बना दी गयी तो आपको इसे पढ़ना ही होगा क्योंकि राज्य से मान्य भाषा का दर्जा पाने पर स्कूलों में इसका पढ़ाना सरकार राजभाषा हिन्दी की तरह अनिवार्य कर देगी।

जो युवक सरकारी नौकरी करना चाहेंगे उन्हें इस उर्दू और फारसी लिपि के पर्याप्त ज्ञान के बिना नौकरी न मिलेगी ।

मेरा चौथा प्रश्न सरकार से है । वह यह कि दो प्रतिशत से भी कम लोगो द्वारा प्रयुक्त भाषा को द्वितीय भाषा बनाने से इस गरीब और करो (टैक्सो) के भार से परेशान राज्य का कितना व्यय बढ़ जायगा ? राज्य में सचिवालय से लेकर जिलो के जिन अधिकारियो को आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) दिये जाते हैं, उर्दू के आशुलिपिक देने होंगे । इनकी कितनी सख्या होगी ? राज्य के लिए कितने उर्दू टाइपराइटर खरीदे जायेंगे और कितने टाइपिस्ट रखे जायेंगे ? इनके लिए कितना अतिरिक्त कागज, मेज, कुर्सियाँ, कार्बन पेपर, रिबन आदि की आवश्यकता होगी ? सचिवालय के विभिन्न विभागो में हिन्दी के आदेशो, ज्ञापों, विज्ञप्तियो, रिपोटों आदि का हिन्दी से उर्दू में, और उर्दू से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए कितने अनुवादक रखे जायेंगे ? भाषा विभाग में उर्दू विभाग खोलकर उसका कितना विस्तार करना होगा ? बजट आदि को उर्दू में भी पेश करना होगा । सभी या अधिकांश सरकारी आदेश आदि उर्दू में भी छपाने होंगे । इस समय गवर्नमेन्ट प्रेस की उर्दू में इतना काम करने की क्षमता नहीं है । गवर्नमेन्ट प्रेस में एक नया उतना ही बड़ा उर्दू विभाग खोलना होगा जितना बड़ा हिन्दी का विभाग है । गवर्नमेन्ट प्रेस के इस विस्तार में कितना व्यय होगा ?

इसमें, तथा उर्दू को द्वितीय भाषा बनाने के परिणामस्वरूप जो नयी नियुक्तियाँ करनी होंगी या जो सामान खरीदना होगा, उसका आवर्तक (रिकरिंग) और अनावर्तक (नॉन-रेकरिंग) व्यय कितने करोड़ वार्षिक और एकमुश्त होगा ? आपको आज ही विकास योजनाओ पर व्यय के लिये धन जुटाने में परेशानो हो रही है । कर-भार अभी ही इतना अधिक है कि जनता उससे पिंसी जा रही है । आप आज के व्यय को ही पूरा नहीं कर पाते । आपको कितना अधिक ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ रहा है ? प्रतिवर्ष आप जनता से कितने करोड़ का ऋण लेते हैं और उसका ब्याज जनता के करो से दिया जाता है ? उर्दू को द्वितीय भाषा बनाने पर जो करोडो रुपयों का आवर्तक व्यय बढ़ जायगा, उसे पूरा करने का क्या आप ऐसा प्रबन्ध कर सकेंगे कि करो और महगाई से त्रस्त इस राज्य की जनता पर बोझ न पड़े ? क्या आप में उर्दू की माँग करने वालो पर इस अपव्यय के लिए "उर्दू सेस" लगाने का साहस है ? क्या आपने उत्तर प्रदेश की ६५ प्रतिशत जनता में अलोकप्रिय इस कदम को उठाने के पहिले इसके राजनीतिक, भावनात्मक, प्रशासनिक तथा आर्थिक परिणामो पर ठडे दिल से विचार किया ?

उर्दू के प्रति हिन्दी वालों का दृष्टिकोण—

हिन्दी वालों का उर्दू के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है उसे संक्षिप्त में बताना आवश्यक है।

(१) राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उर्दू को हिन्दी की एक शैली मानते थे। भाषा की दृष्टि से उर्दू हिन्दी का ही एक रूप है। यद्यपि सविधान ने उसे स्वतंत्र भाषा माना है तथापि अधिकांश हिन्दी वाले उसे अब भी हिन्दी की एक शैली ही मानते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। दोनों की क्रियाएँ, विभक्तियाँ, ढाँचा मूलतः एक है। किन्तु सविधान के कारण हम उसे स्वतंत्र भाषा मानने को बाध्य हैं।

(२) हिन्दी वाले उर्दू को अपनी एक शैली समझने के कारण उसके सरल और हिन्दी की प्रकृति में आ जाने वाले शब्दों को बिना किसी संकोच के बराबर इस्तेमाल करते रहे हैं। सूर और तुलसी तक ने करार, जहर, गरीबनिवाज, निमकहरामी, गुलाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आज भी सामान्य लेखक उर्दू शब्दों का बहिष्कार नहीं करते।

हिन्दी वाले उर्दू के प्रति सद्भावना रखते हैं। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उर्दू की कहानियाँ, गज़ले आदि बराबर छपती हैं।

(४) किन्तु हिन्दी और उर्दू के लेखकों और साहित्य में जो भेद है उसके कारण दोनों शैलियाँ एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। वे भेद यह है—

(क) हिन्दी साहित्य ने सदैव भारत या हिन्दोस्तान की बात कही, सोची, और प्रचारित की। उसकी दृष्टि सदैव अखिल भारतीय रही। उसने अपने साहित्य में भारतीय पशु-पक्षियों, नदियों, प्राचीन भारतीय महापुरुषों, बीरो और वीरोंगनाओं का उपयोग किया।

उसका सौंदर्यबोध भारतीय है। उसकी उपमाएँ, उसके अलंकार, उसके विचार भारतीय हैं। वह सदैव अखिल भारतीय एकता का प्रचार करती रही है। उसके साहित्य में सकीर्णता नहीं है। वह सभी क्षेत्रों और वर्गों जैसे सिक्ख, मुसलमान, ईसाई, सभी के प्रति आदर के भाव दिखलाती रही है।

इसके विपरीत उर्दू का दृष्टिकोण भारत के प्रति उदासीन है। वह मध्यपूर्व की संस्कृति, विचारों, वहाँ के पशु-पक्षियों, बीरो (हीरो) का गुणगान करती है। वह भारतीय संस्कृति, इतिहास और विचारों की उपेक्षा करती है और मध्यपूर्व

की संस्कृति और इतिहास का, जो अभारतीय है, प्रचार करती है। यहाँ केवल संकेतमात्र दिया गया है। इस विषय पर- विस्तार से एक लेख अलग लिखा जायेगा।

(ख) सविधान मे हिन्दी को इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को स्पष्ट कर सरकार का कर्तव्य इस प्रकार निश्चित किया गया है “हिन्दी की वृद्धि करना, इसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।” हिन्दी यह काम अपने जन्म से बराबर करती रही है और हिन्दी वाले अब इस कार्य में और सचेत हो गये हैं।

इसके विपरीत उर्दू भारत की सामासिक संस्कृति (इण्टिग्रेटेड कल्चर) की कौन कहे, केवल मध्यपूर्व की संस्कृति का प्रचार करती है। वह अब तक भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करने में एकदम असमर्थ रही है। वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति न करके केवल मध्य-पूर्व और अरब की संस्कृति की अभिव्यक्ति करती है।

(ग) सविधान मे हिन्दी के लिये लिखा है—“इसकी (हिन्दी की) आत्मीयता (प्रकृति) मे हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची मे दी गयी भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुये तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुये उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना।”

इसके विपरीत उर्दू मे उसका शब्द-भण्डार भारतीय भाषाओं से समृद्धि न करके अभारतीय अरबी और फारसी शब्दों की भरमार से किया जाता है। सामान्य चलते हुए हिन्दी शब्दों के स्थान पर फारसी या अरबी शब्दों का प्रयोग करना उसमे गौरव की बात समझी जाती है (जैसे मच्छर ऐसे चलते शब्द के लिए सामान्य कविता मे फारसी का ‘पशशा’ लिखना)। इस कारण वह दिनोदिन अधिकाधिक अभारतीय और कठिन होती जा रही है।

(घ) उसकी लिपि अभारतीय है। उसमे शुद्ध रूप से इस देश की भाषाओं के शब्द नहीं लिखे जा सकते हैं। ऐसा सामान्य नाम जैसे “राम प्रसाद” भी “राम परसाद” ही लिखा जाता है। वह लिपि अभारतीय तो है ही वह अनेक भारतीय शब्दों को ठीक तरह से लिखने में भी असमर्थ है। भारत की सामासिक एकता के लिए इस शैली के आरम्भ से ही जस्टिस शारदाचरण मित्र ने सब

भारतीय भाषाओं को देवनागरीलिपि में लिखने का आन्दोलन चलाया था और 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला था जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लेख देवनागरी में शुद्धतापूर्वक छापे जाते थे। आचार्य विनोबा भावे भी उसी का प्रचार अभी तक कर रहे थे। किन्तु उर्दू वाले अन्धभारतीय फारसीलिपि—जो इस देश की भाषाओं के लिये अनुपयुक्त है—छाड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि न तो वे भारतीय भाषाओं के शब्द लेना चाहते हैं और न अरबी, फारसी से अधिकाधिक शब्द लेना बंद करना चाहते हैं।

अतएव उर्दू हिन्दी की एक शैली होते हुए भी उर्दू वाले उसे लिपि और शब्दावली में मध्य-पूर्व की सस्कृति की वाहिका और विदेशी अवैज्ञानिक लिपि का प्रयोग कर, उसे अन्धभारतीय बनाने का आग्रह कर, इसे न तो भारतीय बनने देते हैं और न इसे भारत की सामासिक सस्कृति के प्रचार का माध्यम ही।

हिन्दी वाले फिर भी उर्दू का विरोध नहीं करते। आज तक हिन्दी के किसी विद्वान ने मुंशी रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी (जो मेरे अभिन्न मित्र थे) की तरह "मैं हिन्दी का दुश्मन हूँ" लेख नहीं लिखा, और न लिख सकता है। न वे उर्दू वालों की तरह, जो भारतीय भाषाओं को अछूत समझते हैं, उर्दू शब्दों का प्रयोग करने में सकोच ही करते हैं। वे उर्दू कविताएँ आदि देवनागरी में छापते रहते हैं। वह उर्दू के विरोधी नहीं, केवल उसको द्वितीय राजभाषा बनाने का विरोध करते हैं जिसके कुछ कारण ऊपर दिये गये हैं। वे उर्दू की उन्नति चाहते हैं। उसे हिन्दी की एक शैली समझने के कारण वे उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? उसमें फारसी के शब्द भी हों, इसके भी हम विरोधी नहीं। हम इसे शैली की विशेषता मानते हैं। किन्तु दाल में निमक डाला जाता है, निमक में दाल नहीं डाली जाती। उर्दू में फारसी रूपी निमक नहीं डाला जा रहा है बल्कि फारसी रूपी निमक में उर्दू की दाल डाली जाती है। इसी कारण वह हमें नहीं रुचती। सरल उर्दू का हम सदा स्वागत करते हैं और करते रहेगे। किन्तु मध्य-पूर्व की सस्कृति से ओत-प्रोत एक अनावश्यक उसे फारसी तथा अरबी के निकट लाने वाली 'तथाकथित' भारतीय मुसलमानों की "छोटी फारसी" हमें नहीं पसन्द है, वह कभी भारतीय जनता में लोकप्रिय नहीं हो सकती।

—छुर्शोबगंज, लखनऊ

महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनका पत्र-साहित्य

—डॉ० कमल पुंजाणी

महर्षि दयानन्द सरस्वती आधुनिक युग की महान् विभूति थे। जगद्गुरु शंकराचार्य के पश्चात् भारत ने ऐसे प्रखर तेजपुत्र को प्राप्त कर वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति की रक्षा की। स्वामी जी ने समाज में धुस आई कुरीतियों और अध-परम्पराओं पर कठोर प्रहार किया तथा वैदिक संस्कृति पर आधारित जीवन की स्थापना की।

भारतीय पुनर्जागरण के आन्दोलन में धार्मिक-सामाजिक क्षेत्रों का नेतृत्व धारण करने के कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती को देश के विशाल जन-समुदाय के सम्पर्क में आना पड़ा। विभिन्न शहरों में आर्य-समाज की स्थापना के बाद उनका लोक-सम्पर्क और अधिक बढ़ गया था। परिणामस्वरूप आर्य-समाज के मंत्रियों, पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों, देशी राजाओं तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों से उनका पत्र-व्यवहार भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इसी विस्तृत पत्र-व्यवहार का एक अंश, उनके देहावसान के पश्चात्, महात्मा मुंशोराम के सम्पादकत्व में “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-१” शीर्षक से प्रकाशित हुआ।

“ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-१” के प्रकाशन के बाद ‘ऋषि के लिखे एक-एक पत्र-शब्द का सुरक्षित रखना आवश्यक है’ इस शुभ संकल्प के साथ पं० भगवद्दत्त जी ने अथक् परिश्रम से खोज-खोज कर स्वामी जी के पत्रों का एक स्वतन्त्र संकलन “ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग-१” शीर्षक से प्रकाशित कराया।

पं० भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित “ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन” के चारों भागों के प्रकाशन के पश्चात् गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी से पं० चमूपति के सम्पादकत्व में “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-२” शीर्षक पत्र-संग्रह प्रकाशित हुआ।

रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित बृहद् ग्रन्थ में स्वामी जी के सन् १९५५ तक प्रकाशित प्रायः सभी पत्र संकलित हैं। इसमें स्व० महात्मा मुंशीराम तथा पं० चमूपति द्वारा सम्पादित क्रमशः “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग १ और २” के पत्र भी समाविष्ट हैं। इसमें पत्रों के साथ पाद-टिप्पणियों में सन्दर्भ भी दिये गये हैं। इस ग्रन्थ की भूमिका तथा प्रकाशकीय वक्तव्य में स्वामी जी के पत्र-व्यवहार पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। साथ ही जिनके नाम पत्र भेजे गये हैं, उनकी सूची भी दी गई है। इसमें स्वामी जी के जीवन-चरित्र में दी गई तिथियों तथा घटनाओं को पत्रों में निर्दिष्ट तिथियों और घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने-परखने का प्रयास भी किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के ग्रन्थों के लेखकों—पं० भीमसेन, पं० ज्वालादत्त आदि के विषय में स्वामी जी की सम्मतिर्या भी उसमें प्रकाशित है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ स्वामी जी के विशद् व्यक्तित्व का प्रकाशस्तम्भ है।

स्वामी जी के ग्रन्थों को पढ़कर उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, वेदनिष्ठा, त्याग, तपस्या आदि का विशद् परिचय मिल जाता है, किन्तु उनके चरित्र के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन्हें हम उनके पत्रों के द्वारा ही जान सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही पहलुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है—

(१) निर्भीकता और स्पष्टवादिता—

निर्भीकता और स्पष्टवादिता स्वामी जी के स्वभाव की महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं। सच्ची बात कहने में वे किसी से नहीं डरते थे। लाला कालीचरणदास द्वारा आर्यसमाज के एक अखबार में नाटक का विषय छापने की बात को अनुचित ठहराते हुए, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था—

“लाला कालीचरणदास जी, आनन्दित रहो।

विदित हो कि तुम आर्य समाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो। यह अनुचित बात है। यह आर्यसमाज है, भदुआसमाज नहीं।”

(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (१९५५) पृ० ७६)

(२) व्यवहारकुशलता—

स्वामी जी के ग्रन्थों को पढ़ने से यही जाना जाता है वे वेद-शास्त्रों के उद्भूत विद्वान्, त्यागी, तपस्वी और निरौह सन्यासी थे। परन्तु जब हम उनके पत्र पढ़ते हैं तो यह भी ज्ञात होता है कि वे एक कुशल व्यवस्थापक और प्रबन्धक भी थे। पाई-पाई पर उनका ध्यान रहता था। हिसाब-किताब सम्बन्धी रसीदे लेने, प्राप्तिकर्त्ता से नियमानुसार हस्ताक्षर कराने, अच्छे-बुरे कर्मचारी को

परखने आदि की भी उन्हें खूब जानकारी थी। यथा—

“स्वामी ईश्वरानन्द जी, आनन्दित रहो।

(१) सब यन्त्रालय के पदार्थ और नौकरो पर दृष्टि रखना कि नियमानुसार सब काम होते हैं या नहीं, (२) जब कभी जिसका भी व्यक्ति-कर्म देखें तो जो शिक्षा देने से सुधर सकता हो उसे वही सुधार देना, न माने तो हमको लिखना।”

(ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग १, पृ० १७-१८)

इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी में व्यावहारिक बुद्धि भी अच्छी थी।

(३) स्वदेश-भक्ति—

स्वामी जी सच्चे देशभक्त थे। देश के गौरव और ज्ञान की उनको सतत् चिन्ता रहा करती थी। उन्होंने अपने शिष्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी विद्वान् श्यामजी कृष्ण वर्मा को विदेश भेजते समय जो सूचनाये दी थी, उनमें उनकी स्वदेश-भक्ति स्पष्टरूपेण झलकती है। देखिए—

“……अब आपको उचित है कि जब वहाँ जायें, जो आपने अध्ययन किया है, उसी में वार्तालाप करे और कह दें कि मैं कुल वेद-शास्त्र नहीं पढा, किन्तु मैं तो आर्यावत् देश का छोटा विद्यार्थी हूँ और कोई बात या काम ऐसा न हो कि जिससे अपने देश का ह्रास होवे……”

(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० ६२)

यह पत्र स्वामी जी के स्वदेश-प्रेम का ज्वलन्त प्रमाण है।

(४) हिन्दी के प्रति अनुराग और उसके प्रचार में योगदान—

स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी। संस्कृत पर उनका असाधारण प्रभुत्व था। परन्तु हिन्दी के प्रति उनके मन में असीम अनुराग था। हिन्दी की सम्पर्कक्षमता देखकर उन्होंने उसे ‘आर्यभाषा’ की गरिमायुक्त संज्ञा प्रदान की थी। लाहौर के आर्यसमाज के मन्त्री भाई जवाहरसिंह ने उनको टूटी-फूटी हिन्दी में एक लम्बी चिट्ठी लिखी थी, जिसके उत्तर में स्वामी जी ने उनको प्रोत्साहित करते हुए लिखा था—

“……जो तुमने इतनी बड़ी चिट्ठी आर्यभाषा में लिखी, यही हमने तुम्हारी शुद्धि जानी।”

(ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग १, पृ० १२५)

स्वामी जी अपना बहुत-सा पत्र-व्यवहार दूसरों को बोलकर लिखवाते या लिखने को कह दिया करते थे। अतः उनके पत्रों में भाषायीय अशुद्धियाँ प्रायः

लेखक के प्रमाद का परिणाम ही हैं। यद्यपि गुजराती और संस्कृत पर उनकी जितनी पकड़ थी, उतनी हिन्दी पर शायद नहीं थी, तथापि हिन्दी के प्रति अनुरक्ति के कारण वे अपने विचार उसमें अच्छी तरह व्यक्त कर सकते थे। उन्होंने हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिलाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त हंटर कमीशन के पास, हिन्दी के पक्ष में, स्थान-स्थान से स्मरणपत्र भिजवाये थे। इस सम्बन्ध में लाला कालीचरण को प्रेषित १४ अगस्त १८८२ के पत्र का निम्नांकित अंश—

“.....आप लोग भी जहाँ तक हो सके, गोरक्षार्थ और आर्य-भाषा के राजकार्य में प्रवृत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्न कीजिए।”

(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० ३५४)

इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की उन्नति और प्रचार-प्रसार में स्वामी जी का योगदान महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में डॉ० विजयेन्द्र स्नातक के इस कथन का स्मरण हो जाता है कि—“हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार में आर्यसमाज का योगदान सर्वविदित है। आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आज से एक शताब्दी पूर्व अपना लेखन हिन्दीभाषा में प्रारम्भ किया था। स्वामी जी हिन्दीभाषा को आर्यभाषा कहकर पुकारते थे।” (द्विवेदीयुगीन काव्य पर आर्यसमाज का प्रभाव (१९७३), भूमिका)

(५) बुद्धिकोण—

स्वामी जी को वेदों के प्रति अपार आस्था थी। वे भारतीय समाज की सम्स्त विकृतियों को हटाकर उसे वैदिक धर्म के अनुसार ढालना चाहते थे। “वेदों की ओर लौट चलो” उनका मुख्य नारा था। ‘भारतमित्र’ के सम्पादक के पास भेजे गये पत्र में उन्होंने वेद-विषयक अपनी सम्मति प्रकट करते हुए लिखा था—

“.....मैं ईश्वर नहीं, किन्तु ईश्वर का उपासक हूँ। वेद मनुष्यों के हितार्थ परमात्मा ने प्रकाशित किये हैं। इस अभिप्राय से कि यहाँ तक मनुष्य की विद्या और बुद्धि पहुँच सकेगी और इतने तक कार्य मनुष्य कर सकेंगे। इसलिए यावत् मेरी बुद्धि और विद्या है, तावत् निष्पक्षपात होकर वेदों का अर्थ प्रकाशित करता हूँ।” (ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-१, पृ०-६८)

इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी की विचारधारा वैदिक धर्म के अनुकूल थी। वे वैदिक संस्कृति के अनुसार भारतीय समाज का निर्माण करना चाहते थे।

१।११।२ आर. टी. जाडेजा एस्टेट
गुस्ठारा के निकट
जामनगर (गुजरात) ३६१००१

सिन्धु-संस्कृति के निर्माता

डॉ० विनोबचन्द्र सिन्हा

भारतीय इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ने से हजारों वर्ष पहले मानव सभ्य जीवन और व्यवस्थित समाज के लिये प्रयास कर रहा था। पाषाणयुग में उसकी चेष्टाये सफल हुयी थी किन्तु जब उसे धातु-ज्ञान हुआ तो उसके जीवन में क्रान्ति उत्पन्न हो गयी। अब पत्थर से आगे बढ़कर उसने धातु का प्रयोग भी आरम्भ कर दिया। ताम्रयुग की मुख्य धातु सोना और ताँबा थी। ताँबे के साथ-साथ बहुधा टिन भी प्राप्त होता था। इन दोनों धातुओं को मिलाकर काँसा बनाया गया। यह ताँबे की अपेक्षा अधिक कठोर था। ताम्र-युगीन लोगो ने धातु को गलाना सीख लिया था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के साचे में तरल धातु को भरकर हथियार तथा अन्य उपकरण बनाये जाने लगे थे।

भारतीय इतिहास में सभ्य और समृद्ध जीवन का प्रथम उदाहरण सिन्धु-घाटी में मिला। यह एक नवीन खोज थी जिसके लिये प्रथम श्रेय रायबहादुर दयाराम साहनी और विद्वान राखलदास बनर्जी को दिया जा सकता है। बाद में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इस क्षेत्र में विधिवत् उत्खनन किया गया जिसके फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुयी। विद्वान् पानिक्कर' के अनुसार यह संस्कृति आर्यों से पहले की है। अधिकांश विद्वान् भी ऐसा ही मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वान् इसे आर्यों की ही देन मानते हैं। निर्णायक उत्तर के लिये अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है। इस संस्कृति का समय लगभग ३००० ईसा पूर्व माना गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस नई खोज ने भारतीय संस्कृति को ससार की अन्य प्राचीनतम संस्कृतियों के बराबर में खड़ा कर दिया है।

यह प्रश्न सहज रूप से ही उठता है कि इस संस्कृति के निर्माता कौन थे ? इस सम्बन्ध में निम्न चार मतों का प्रतिपादन हुआ है—

क. सिन्धु-संस्कृति के निर्माता आर्य थे।

ख. सिन्धु-संस्कृति के निर्माता सुमेरियन थे।

1. A Survey of Indian History, pp 3-4

ग सिन्धु-संस्कृति के निर्माता द्रविण थे।

घ. सिन्धु-संस्कृति के निर्माण में अनेक जातियों का योग था।

मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में मनुष्यों के अस्थि-पिंजर भी मिले हैं। इनके अध्ययन से प्रष्ट होता है कि इस संस्कृति के निर्माण में अनेक जातियों का योग था। डॉ० गुहा के अनुसार, इन नगरों से प्राप्त अस्थि-पिंजर चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—प्रोटो आस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मेगोलियन। सबसे अधिक संख्या भूमध्यसागरीय नस्ल की थी। अतः परिणाम निकाला जाता है कि इसी नस्ल के लोगों ने सिन्धु-संस्कृति का निर्माण किया। भारत के द्रविण भी इसी नस्ल की एक शाखा थे। आज तो द्रविण लोग केवल दक्षिण भारत में ही निवास करते हैं, किन्तु शायद पहले उत्तरी भारत में भी वे लोग बसे हुए थे। बिलोचिस्तान के एक भाग में आज भी 'ब्राहुई' भाषा बोली जाती है। यह भाषा द्रविण वंश की है। इससे द्राविणों की सत्ता दक्षिण से बाहर भी सूचित होती है। हो सकता है कि किसी आक्रमण के कारण ही द्राविणों को उत्तरी भारत से भाग कर दक्षिणी भारत जाना पड़ा हो। कुछ विद्वानों का कहना है कि बिलोचिस्तान में ब्राहुई भाषा द्राविणों के पश्चिमी देशों के साथ केवल व्यापार को सूचित करती है। इस प्रसंग में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि अस्थियों और प्रतिमा-मस्तकों के वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम पर बहुत सतर्कता से विचार करना चाहिये। कलाकार कोई वैज्ञानिक नहीं थे और इन मस्तकों की संख्या भी इतनी कम है कि इससे अकाद्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

आर्यों का पक्ष अभी तक संबल नहीं बन पाया है। एक बड़ा अन्तर तो दोनों में यह है कि सिन्धु संस्कृति नागरीय है और वैदिक संस्कृति ग्रामीण है। स्वामी शकुरानन्द जैसे विद्वानों ने बड़ी योग्यता के साथ आर्यों के पक्ष का प्रतिपादन किया है। लेकिन यदि यह मान लिया जाय कि सिन्धु संस्कृति का निर्माण आर्यों ने किया है, तो ऋग्वेद की तिथि सुदूर अतीत में हट जाती है। वर्तमान जानकारी जहाँ तक है, उसके सदर्थ में इसे स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है।

कुछ विद्वान् सुमेरियनो तथा सिन्धु-संस्कृति की समानतायें प्रस्तुत करते हैं तथा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस संस्कृति के निर्माता सुमेरियन ही थे। किन्तु समानताओं के आधार पर दूसरी बात भी कही जा सकती है। अगर यह कहा जाये कि सुमेरियन संस्कृति का निर्माण सैन्धवयुगियों ने किया तो उपर्युक्त तर्कों के आधार पर इसे भी मानना चाहिये। ये युक्तियाँ फिर भी दुर्बल ही हैं।

जहाँ तक सिन्धु-संस्कृति में अनेक जातियों के योग का प्रश्न है, उससे हटा नहीं जा सकता। यह क्षेत्र प्राचीन काल में अनेक संस्कृतियों का मिलन-स्थल रहा है। प्राचीन सभ्य-संसार में लेन-देन दोनों प्रचलित रहे। अगर अतीत काल में भारत ने संसार को कुछ दिया है तो निश्चय के साथ लिया भी है। हाँ, हमारी यह प्रतिभा संवश्य रही है कि बाह्य प्रभावी चीं लेकर हमने उनका भारतीयकरण कर दिया है। डॉ० सकालिया^२ ने लिखा है कि अगर हमें सिन्धु सभ्यता के नाश के कारणों का ठीक पता नहीं है तो हम इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी नहीं जानते हैं।

आचार्य एच अध्येस,
प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा
पुरातत्त्व विभाग।
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

२. इण्डियन आरकेलॉजी टु-डे, पृ० ७१

वैदिक युग में प्रजातंत्र

डॉ० जबरसिंह सेगर

वैदिक युग में राजतंत्र होते हुए भी राजा का स्वरूप प्रजातांत्रिक था। राजा की शक्ति अपनी न होकर प्रजा की शक्ति थी। प्रजा की कृपा पर राजा का अस्तित्व दिखाई देता था। प्रजा की कृपा उसके कार्यों, त्याग, देश-सेवा, वीरता एवं देश-भक्ति पर निर्भर रहती थी। राजा का चयन प्रजा खूब परख कर करती थी। उसको पुरोहित खूब उपदेश देता था। उसको अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता था। उससे प्रजा के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञाएँ करवाता था। इससे भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि राजा को राज्य प्रजा सौंपती थी। राज्य सौंपते समय उसको कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था। प्रजा भी राज्य को एक योग्य राजा के हाथों में तभी सौंपती थी, जब वह राजा को अच्छी तरह परख लेती थी। नीचे लिखे उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि वशानुक्रम राजा बनता होता तो उसे प्रजा से राज्य माँगने की क्या आवश्यकता थी? भले ही परम्परा रही हो कि राजा का पुत्र यदि इस योग्य पाया गया हो, तो उसे प्रजा ने राजा चुन लिया हो। राजा एवं प्रजा में राष्ट्र-हित के लिए काफी निकटता एवं पारस्परिक विश्वास था।

‘राजा राज-संस्था से बाहर नहीं, अपितु वह भी एक अंग के रूप में है’— यह एक भारत का प्राचीन विश्वास है। जब राजा का अभियेक होता था तो वह निम्न मंत्र पढ़ता था—

पृष्ठोर्मे राष्ट्रमुदरमंसौ, प्रोवाच भ्रुणो ।

ऊरु, अरत्नी जानुनी, विसोर्मेगानिसर्बतः ॥

(यजुर्वेद—२०।८)

अर्थात् राजा कोई पृथक् वस्तु नहीं है। राजा का शरीर राष्ट्र और प्रजाओं से मिलकर बना है। राष्ट्र उसकी पृष्ठवंश है तथा नाना प्रकार की प्रजायें उसके नाना अंग हैं।

इससे स्पष्ट है कि राजा को यह आभास कराया जाता था कि राष्ट्र और प्रजा उसका शरीर है। यदि उनको कोई कष्ट या दुःख होगा तो राजा यह न समझे कि कष्ट किसी और को हो रहा है—अपितु यह कष्ट राजा को ही हो रहा है। दोनों—प्रजा एवं राजा के स्वार्थ समान ही थे। प्रजा एवं राजा का सम्बन्ध दामन-चोली जैसा था। राजा यह भी समझता था कि वह प्रजा का नैतिक भृत्य है और उसका कर्तव्य है कि उस वृत्ति के बदले में प्रजा को सर्वप्रकार से रक्षा करे। अभिषेक के समय राजा निम्न वाक्य कहता था—“योगक्षेमं व आदाय अहं भूयासमुत्तमः— (ऋग्वेद १०।१६६।५), अर्थात् हे प्रजा-जनो ! तुम्हारा अन्न खाता हूँ, मैं अपने काम को श्रेष्ठता से निभा सकूँ। राजा का योगक्षेम प्रजा के हाथों में समझा जाता था, न कि प्रजा का योगक्षेम राजा के हाथों में।

राज्य के व्यक्तियों में से योग्य पुरुष को ही राजा चुना जाता था। राजा को राजकुल में उत्पन्न होने की कोई विशेष शर्त नहीं थी—यह उल्लेख हमें वेद के राज-प्रकरण में कई स्थान पर मिलते हैं। कालचक्र के साथ-साथ राजकुल के योग्य व्यक्ति को राजा चुनने की परम्परा प्रचलित हो गई। राजा अपनी इच्छानुसार उत्तराधिकारी नहीं चुन सकता था। प्रजा जिसे राजा बनाने की अनुमति देती थी, वही युवराज बन सकता था। राज्य के श्रेष्ठ पुरुष को ही राजा चुना जाता था।

ऋधम मा समामानां सपत्नानां विषसहिम् ।

हन्तार शत्रूणां कृवि विराजं गोपति गवाम् ॥

(ऋग्वेद १०।१६६)

जो राजा बनना चाहना था, वह पुरोहित से कहता था—“मैं समान देशीय पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ हूँ। विरोधियों के आक्रमण को सहने वाला हूँ तथा शत्रुओं को मार भगाने वाला हूँ। इसलिये मुझे आप राजा बनाकर मेरा अभिषेक कीजिए। इस उदाहरण से राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति को राजा बनाने की बात की पुष्टि नहीं होती है। जो राज्य-भार उठाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होता था, उसे राजा चुनने की आज्ञा वेद भगवान देते हैं—

इमं देवा असपत्नं सुवष्ट्व महते क्षत्राय, महते ज्येष्ठ्याय,

महते जान राज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय ॥

इमममुष्य पुत्रं अमुष्यं पुत्रं अस्य विश एष वोऽमी राजा ॥

(यजु० २।४०)

अर्थात् “जिसका विरोधी कोई न हो और सारा राष्ट्र जिसके पक्ष में हो—
ऐसे पुरुष को बड़े भारी विस्तृत राज्य की अभिवृद्धि, कीर्ति और ऐश्वर्य बढ़ाने
के लिये चुनो और सब लोग कहे कि अमुक पिता और अमुक माता के पुत्र को हम
राजा बनाते हैं।” अतः उक्त गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को ही राजा चुना जाता था।
वेद भगवान् प्रजा को कहने का उपदेश देते हैं और प्रजा राजा को सम्बोधित
कर कहती है—

नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्यै इयन्ते राड्यन्ता सिपमानो द्रुबोअसि धरुणः ।
कृष्यं त्वा क्षेमाय त्वा रय्यं त्वा पोषायत्वा ॥

(यजु० ६१२२)

अर्थात् प्रजा के प्रधान पुरुष कहते हैं—“हे मातृभूमि तुझे नमस्कार है। हे
मेरी प्यारी मातृभूमि तुझे नमस्कार है। हे राजन् तू हमारी मातृभूमि का नियन्ता
और धारण करने वाला है। तुमको हम इसकी कृषि को प्रफुलित करने के लिए,
समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए, उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए और
इनके पालन-पोषण के लिए राजा बनाते हैं।”

बार्त्रं हत्याय शवसे पृत्तनाषाहायच ।

इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥

(यजु० १८१६८)

अर्थात् “शत्रुओं से रक्षा के लिए तुझे राजा बनाते हैं।” इससे स्पष्ट है कि
जो पुरुष देशरक्षा, प्रजा का हित-चिन्तन, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में
सक्षम होता था, वही व्यक्ति राजा चुना जाता था। इसके बाद राजा प्रजा से बड़े
ही विनम्र शब्दों में राज्य मांगता था—

सूर्यत्वर्चसस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त स्वाहा ।

सूर्यत्वर्चसस्य राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मेदत्त ।

मान्वास्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त स्वाहा ।

क्षत्रक्षितस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

बाशास्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

शविष्ठास्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

शकरोस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

जनभृतस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

विश्वभृतस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त ।

अधुमतीर्षधुमतीभिः पृथ्यन्ताम्भृक्षत्रं क्षत्रियाय वन्दाना ।

अनाघृष्टाः सीदत संहौजसौमहि क्षत्रं क्षत्रियाय वधती ॥

(यजु० १०१४)

अर्थात् “सूर्य के समान दीप्ति वाले विद्वान प्रजा-पुरुषो ! राष्ट्र को देना आपके अधिकार मे है। आप मुझको राष्ट्र दीजिए। आप सारे मनुष्यों को आनन्द देने वाले है। आप गौ आदि पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। आप बलशाली और प्रजा की रक्षा करने वाले है। आप समस्त जीवमात्र की रक्षा करने वाले है। आप स्वयमेव राज्य करने वाले हैं। आप मुझे राष्ट्र दीजिए।” इसके बाद प्रजा को संबोधित करके राजा का उम्मीदवार पुन कहता है—“हे प्रजाओ ! आप वीर है। आप सबके प्रति माधुर्य प्रदर्शित करने वाली हो। आप मिलकर यह विशाल राष्ट्र मुझे दीजिए और शत्रुओं से निर्भय होकर अपने बल को बढ़ाते हुए राष्ट्र में निवास कीजिए।” इससे स्पष्ट है कि राज्य राजा का न होकर प्रजा का ही समझा जाता था। प्रजा राजा को राज्य देते समय निम्न शब्दों का प्रयोग करके कहती है—

सोमं राजा नमवसेग्निमन्वारभामहे । (यजु० ६।२६)

अर्थात् “प्रजाओं के प्रति शांति से व्यवहार करने वाले और शत्रुओं के प्रति अग्नि के समान क्रोध दिखाने वाले वीर पुरुष को हम राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा बनाते हैं।” आगे पुरोहित राजा को निम्न आशीर्वाद रूप में सदेश देता है—

आत्वागन् राष्ट्रं सहवचंसो विहि प्रांड् विशांपतिरेकराट्त्व विराज ।

सर्वास्त्वा राजन प्रदिशो हवयन्तु उपसद्योनमस्यो भवेह ॥

(अथर्व० ३।४।१)

अर्थात् “हे राजन ! तुझे राष्ट्र दिया जाता है। तू प्रजा का पालक होकर सिंहासन पर विराजमान हो। सारी दिशाएँ अथवा सर्वदिशाओं के पुरुष तुझे राजा स्वीकार करे और तेरे पास आकर तुमको नमस्कार करें। सारी दिशाओं, प्रदिशाओं की प्रजाये तुझे राजा चुने। राष्ट्र का तू मुखिया है। राष्ट्र के शिखर पर विराजमान होकर हम सबको धन-धान्य से अलकृत कर।”

एक अन्य स्थान पर पुरोहित राजा को आशीर्वाद के शब्दों से आशीर्वाद देते हुए कहता है—**पुं चन्तु त्वा मस्तौ विश्ववेदसः । (यजु० ६।१८)**, अर्थात् “हे राजन सकल विद्याओं के जानने वाले विद्वान पुरुष तुझे राजपद पर नियुक्त करे।”

ह्वयन्तु त्वा प्रतिजनः प्रतिमित्राः अक्वत ।

इन्द्रान्नी विश्वेदेवास्ते विशिष्येमपदी धरन् ॥

अथर्व० ३।३।५

अर्थात् “हे राजन ! प्रजा के सभी पुरुष और तुम्हारे सारे मित्र तुम्हें राजा स्वीकार करें। मेघ एवं अग्नि आदि दिव्य पदार्थ तेरी प्रजा का कल्याण करते रहें।” इससे स्पष्ट है कि राजा का चयन प्रजा करती थी और जब प्रजा राजा चुन लेती थी तो पुरोहित पुनः कहता था—

स राजा राज्य मनुमन्वतान् ।

इदं विशश्रवा सर्वा वाञ्छन्तु ॥

अथर्व ४।२।८

अर्थात् “हे राजन ! हम आपको यह राज्य देना मान चुके हैं। अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। व्याघ्र के समान इस सिंहासन पर विराजमान हूँ और सारी दिशाओं पर विजय पाइये, जिससे प्रजाये तुमको राज्य के लिए पसन्द करे।” राजा की नियुक्ति प्रजा की ओर से होती थी। व्यास भगवान् कहते हैं कि— राष्ट्रस्येत ल्कृत्यतं राज एवाभिधेयमम् । अर्थात् ‘यह राष्ट्र का काम है कि वह राजा नियुक्त करके उसका राज्याभिषेक करे।’ पुरोहित राजा को उपदेश देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा की नियुक्ति प्रजा की सम्मति से होती थी।

आत्वा हाषं मन्तरेधि ध्रुवास्तिष्ठा विचाचलि ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मात्वद्राष्ट्रं मधिप्रशत् ॥

ऋग्वे० १०।१७३।१

अर्थात् “हे राजन ! तू अविचलित होकर सिंहासन पर विराजमान हो। तू अपने आपको ऐसा बना कि सारी प्रजाये तुझे पसन्द करे तथा कोई ऐसा अवसर न आवे कि तेरा राष्ट्र तेरे हाथ से निकल जाये।”

रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि ।

रुचं विशयेषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम ॥

यजु० १८।४८

अर्थात् पुरोहित कहता है कि “हे राजन् ! हमारी प्रजा में रहने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की उन्नति करना तुम्हारा काम है।” राजा भी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता था। इस प्रकार का उद्धरण भी वेदों में मिलता है।

सोम राजन्विशवास्त्व भ्रजा उपावरोह ।

विशवास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु ॥

यजु० ६।२६

अर्थात् “हे सौम्य गुण वाले राजन ! तू सब प्रजाओं पर शासन कर और

सब प्रजायें तुझ पर शासन करे ।” इस प्रमाण से अधिक और कौन-सा प्रमाण मिल सकता है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राजा ही केवल प्रजा पर शासन नहीं करता, किन्तु प्रजा भी राजा पर अकुश रखती है। राज्याभिषेक के समय भी प्रतिज्ञा कराई जाती थी कि राजा प्रजा की सम्मति से राज-संचालन करेगा। वह स्वेच्छाचारी होकर राज्य-कार्य नहीं करेगा। एक स्थान पर पुरोहित राजा को उपदेश देता है—

त्वन्वेव सोम इन्द्रस्य प्रियम्पाथो वीहि आत्मत्सखा ।

त्वन्वेव सोम विश्वेषां देवानां प्रियंपाथो वीहि ॥

(यजु० ८।१०)

अर्थात् “हे राजन् ! तू हम लोगों का मित्र है। तू वही राज्य-कार्य कर, जो धार्मिक विद्वान् पुरुषों को प्रिय हो।” प्रजातन्त्र का यह भी उदाहरण मिलता है— राजा स्वेच्छाचारी न होकर प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता था। वह शपथ लेकर प्रजा को आश्वासन देता था—‘अन्नं य वोमिनह्यामि उभे आर्त्तो इववधया ।’ ऋग्वे० १०/१६६/३। पुरोहित राजा को जल देता था और जल देखकर राजा कहता था— ‘मैं इस राष्ट्र को समृद्ध बनाऊंगा। इसीलिए मैं इस जल को देखता हूँ।’ आज भी गयाजल लेकर शपथ-ग्रहण करने की प्रथा भारत में प्रचलित है। एक स्थान पर राजा सभाओं को स्वीकार करता है और राजसभा के समक्ष प्रतिज्ञा करता है —

पृष्ठीमें राष्ट्रमुदरमंसो प्रीवाश्च ध्योणी ।

उरु अरत्नो जानुनोविशो मेऽगानि सर्वतः ॥

(यजु० २०।८)

अर्थात् “मेरी प्रजाओ ! मैं तुम्हारे विचारों और तुम्हारी सभा को स्वीकार करता हूँ। अर्थात् तुम्हारी सभायें जो भी निश्चय लेंगी, उसे मैं सदा ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।”

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक युग का राजा निरकुश नहीं था। उसका स्वरूप प्रजातांत्रिक था, वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी था। आज के प्रजातांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री से अधिक, वेद-मंत्रों में राजा को प्रजापालक के रूप में दर्शाया गया है। वह प्रजा का सेवक है, राज्य की रक्षा करना उसका धर्म है। प्रजा का सुख राजा का सुख है और प्रजा का दुःख राजा का दुःख है—यही भावना हमें वैदिक युग के राजा के प्रजातांत्रिक स्वरूप में देखने को मिलती है। किन्तु राजा के चयन का यह अधिकार वेद, प्रजा के उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में देता है जो राष्ट्र के हितार्थ को पूर्णतया जानते हैं तथा प्रलोभनों एवं दबावों के वर्शाभूत न होकर स्वस्थ निर्णय लेने में सक्षम हैं।

उपाध्याय,

प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग

परिसर परिक्रमा

११ अगस्त, १९८४ को श्रावणी तथा संस्कृत-दिवस को अवसर पर कुलपति महोदय द्वारा दिया गया भाषण

आदरणीय आचार्य सत्यकाम जी, आचार्य रामप्रसाद जी, बेवियो, सज्जनों, मेरे सहयोगियों एवं सहपाठियों !

आज इस अमृतवाटिका में आप लोगों के संस्कृत में भाषण सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सचमुच मैं वही सब सुनने के लिये गुरुकुल में आया था कि गुरुकुल में संस्कृत में सम्भाषण होमे, आपसे संस्कृत में वार्तालाप होगा। गुरुकुल में स्वाध्याय और पठन-पाठन का माहौल होगा। मुझे ख़ुशी है कि अब वह किसी हद तक गुरुकुल में उपलब्ध हो रहा है।

मैं अपने आपको गुरुकुल की ढ़वी कक्षा का विद्यार्थी मानता हूँ। नवम्बर १९७५ में, मैं गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ था। मेरी संस्कृत अभी इतनी अच्छी तो नहीं कि मैं पूर्व वक्तार्यों की भाँति धाराप्रवाह संस्कृत में बोल सकूँ। इसीलिये आपके समक्ष संस्कृत में आरम्भ करने के पश्चात् संस्कृत की बेटी हिन्दी के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ।

९ वर्ष तक भी मेरी संस्कृत सुदृढ़ नहीं हुई, इसका एक कारण मेरे गुरुजन भी है। यदि गुरुजन आपस में, अपने छात्रों से, अपने कॉलेज में, मेरे साथ संस्कृत में बात करते तो मेरी संस्कृत अब तक अवश्यमेव सुदृढ़ हो जाती। यदि मैं अपनी माँ की भाषा सुनकर हिन्दी बोलना सीख सकता हूँ, यदि मैं अपनी माँ की जुबान से पंजाबी बोलना सीख सकता हूँ, यदि मैं अपनी माँ की जुबान से लहँदी पशतो बोलना सीख सकता हूँ, तो कोई कारण नहीं कि मैं आपकी जुबान से संस्कृत बोलना नहीं सीख सकता। मैं आप गुरुजनों को आह्वान करना हूँ कि आप मेरी माँ बनें और मुझे और सभी संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों को संस्कृत सिखायें। मैं आपसे शुद्ध संस्कृत में बात करना चाहता हूँ।

यदि सेंट जेवियर स्कूल में यह नियम हो सकता है कि, वे चाहे विद्यार्थी हों या अध्यापक, स्कूल समय में आपस में अंग्रेजी में ही बात करेंगे, चाहे वह अंग्रेजी

शुद्ध हो या अशुद्ध, तो क्यों नहीं गुरुकुल में यह नियम बन सकता कि कम से कम कक्षाओं के समय में अध्यापक अपने छात्रों के साथ संस्कृत में वार्तालाप करें, चाहे शुरू-शुरू में वह संस्कृत अशुद्ध ही क्यों न हो। आइये, आज भावणी और संस्कृत-दिवस के शुभ अवसर पर हम इस प्रतिज्ञा में बंध जायें कि हम संस्कृत की रक्षा करने हेतु अपने विद्यालय अथवा महाविद्यालय में आज से सदैव संस्कृत में सम्भाषण करेंगे।

आज संस्कृत-दिवस है। संस्कृत-दिवस का अर्थ है—स्वाध्याय दिवस। मैं स्वाध्याय के तीन अर्थ लेता हूँ—

- (१) स्व—अध्ययन : स्व—अध्ययन का अर्थ है अपना अध्ययन करना। अपनी अच्छाई-बुराईयों की निगरानी रखना।
- (२) सु—अध्ययन जो भी पढ़ो, अच्छा ही पढ़ो। हम जब विद्यार्थी थे तो हमें बड़े आदर्शियों की जीवनियाँ पढ़ने को प्रेरित किया जाता था। अतः मैं आम छात्रों से भी यह कहना चाहूँगा कि जितना हो सके बड़े आदर्शियों की जीवनियाँ पढ़ो।
- (३) स्वयं—अध्ययन अपने अन्दर अपने आप पढ़ने की आदत डालो। किसी को अपसे यह न कहना पड़े कि अब पढ़ो।

आज से आठ वर्ष पूर्व मैंने गुरुकुल-पत्रिका में एक लेख दिया था। यह लेख गुरुकुल-पत्रिका के 'दयानन्द' अंक फरवरी १९७६ में प्रकाशित हुआ था। उस लेख में ३० प्रश्नों की एक प्रश्नावली थी और गुरुकुल के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अनुरोध किया गया था कि इस प्रश्नावली के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल का मूल्यांकन करें। मैं आज भी उस प्रश्नावली के उत्तरों की प्रतीक्षा में हूँ। आप लोगों की सेवा में यह प्रश्नावली पुनः वितरित की गई है। आज्ञा है आप लोगों के उत्तर मुझे अब शीघ्र ही मिलने आरम्भ हो जायेंगे।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य के दुश्मन हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य दुश्मन है—प्रमाद-आलस्य। प्रमाद के रहते हुये हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। अतः हमें अपने प्रमाद पर नियन्त्रण रखना है। एक अन्य दुश्मन है—रागद्वेष। रागद्वेष के रहते हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। पर-निन्दा के जाल में फँसे रहेंगे, परस्पर सहयोग न कर पायेंगे। सहयोग में ही शक्ति है उसमें बलित रहेंगे। आइये आज के दिन यह भी व्रत लें कि हम अपने इन दुश्मनों के ऊपर अपना पूरा नियन्त्रण रखेंगे।

अन्त मे, मुझे आप लोगो से जो बात कहनी है वह है खेल-कूद के बारे मे । आजकल लॉस एंजिल्स मे २३वे ओलम्पिक खेल चल रहे है । भारत की जन-संख्या विश्व की जनसंख्या का एक-सातवा भाग है किन्तु पदक-तालिका मे भारत का कही नाम भी नहीं है । जबकि विश्व के अनेक देश, जो कि हमारे उत्तर-प्रदेश प्रान्त के बराबर है और कई तो इससे भी छोटे-छोटे है, वे कई-कई स्वर्ण पदक जीत चुके है । आइये सोचे कि बात क्या है तथा आज यह भी प्रण ले कि १९८४ के लॉस एंजिल्स मे जो हुआ सो हुआ, १९८६ के सियोल एशियाड और १९८८ के ओलम्पिक मे हम अपने देश को यथोचित मान दिलायेंगे ।

ओ३म् शान्ति ।

प्रस्तुतकर्ता

गिरीशचन्द्र सुन्दरियाल
निजी सहायक, कुलपति
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार ।

प्रौढ शिक्षा प्रशिक्षण शिविर

(१-८-८४ से ८-८-१९८४ तक)

—डॉ० त्रिलोक चन्द

प्रौढ शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, जो १ अगस्त से ८ अगस्त तक चला, उसके प्रशिक्षक अत्यन्त उत्साहवश ३१ जौलाई ८४ की शाम से ही निवास के लिये निर्धारित स्टाफ रूम में पहुँचे। १ अगस्त को प्रातः संध्या व प्रातःराश के उपरान्त ११ बजे उद्घाटन हेतु उत्सव में, जो वेद मन्दिर में सम्पन्न हुआ, पहुँचे। सर्व-प्रथम ब्रह्मचारियों ने वैदिक मन्त्रों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया, तत्पश्चात् समारोह में आमन्त्रित श्री मूलचन्द्र शास्त्री ने प्रौढ शिक्षा की उपयोगिता पर बोलते हुए ग्रामीण प्रौढ़ों को स्वच्छता आदि का प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। उसके बाद श्री बलदेवप्रसाद जी ने प्रौढ शिक्षा के सम्बन्ध में अपना सक्षिप्त भाषण दिया। साथ ही श्री सत्यकाम जी ने अपने वक्तव्य में प्रौढ शिक्षा पर कुछ कहा। अन्त में समारोह के मुख्य अतिथि महोदय के उद्घाटन-भाषण से पूर्व डॉ० त्रिलोकचन्द ने प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के विकास का विवरण दिया। फिर मुख्य-अतिथि श्री कुलपति जी, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, ने अपने भाषण में सर्वप्रथम देश के महानुभावों का हवाला देते हुए प्रशिक्षकों को इस क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया। उसके बाद आचार्य रामप्रसाद जी ने वेद मन्त्रों द्वारा प्रशिक्षकों को शपथ दिलायी। फिर शान्ति पाठ के साथ समारोह समाप्त हुआ। अन्त में एक चाय पार्टी हुई, इसके बाद सायंकाल तक डॉ० त्रिलोक चन्द ने प्रौढ शिक्षा की समस्याओं पर महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रशिक्षकों को नोट कराये। सायंकाल ८-३० से १० बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सगीत दल कागड़ी ग्राम व ब्रह्मचारी सजीव कुमार वर्मन के प्रेरणदायी गीतों को मान्य कुलपति जी ने भी पधार कर सुना। १० बजे शान्ति पाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई।

२-८-१९८४

दूसरे दिन भी सभी प्रशिक्षक प्रातः संध्याव्याम करने के उपरान्त, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार १०.०० बजे प्रार्थना भवन में पहुँचे। श्री राजेन्द्र जी अग्रवाल, प्रो० आयुर्वेद विभाग ने स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते

हुए उसके लिए स्वच्छता, व्यायाम व सयम आदि को उपयोगी बताते हुए सादा जीवन का मूल-मंत्र तथा परिवार-नियोजन के अनेक खोजपूर्ण तथ्यों का प्रकाशन किया। १२ ३० बजे सभा विसर्जित की गई। पुन ३ से ६ बजे तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री रामप्रसाद वेदालकार ने 'प्रौढ शिक्षा का राष्ट्र को योगदान' विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षको को त्याग-तपस्या से रहने पर बल दिया।

३-६-१९८४

तीसरे दिन पूर्व की भाँति प्रात कालीन कार्यों को करने के उपरान्त ६ बजे सभी प्रशिक्षक जमाल गांव का सर्वेक्षण करने के लिये चल पड़े। सभी ने पूरे गांव में प्रेमपूर्वक प्रौढ शिक्षा का प्रचार किया तथा शिक्षा के सिद्धान्तों को साकार करते हुए सर्वेक्षण-पत्रों को पूर्ण किया। १२ ३० बजे तक सभी वापिस लौट आये। पुन भोजन एवं विश्राम के बाद २ बजे सभी सभाभवन में गये। वहाँ डॉ० विजय शंकर जी ने उपयोगी तथ्यों पर विद्वतापूर्वक प्रशिक्षको को भाषण दिया और अपने आँकड़े प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया कि हमारे देश में पूँजीपती तो बेहद धनवान हैं व गरीब अत्यन्त गरीब होता चला गया। प्रौढ शिक्षा से उनमें चेतना भरनी होगी। ६ बजे सभा विसर्जित की गई।

४-६-१९८४

प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन प्रात ही सभी प्रशिक्षक प्रात कालीन अनुष्ठानों से निश्चर कर सात बजे स्कूटरो में बैठकर मातृ गाँव कांगड़ी एवं गाजीवाला का सर्वेक्षण करने के लिये चल पड़े। कांगड़ी गाँव में पहुँचते ही मेरी आँखों के सामने गरीब भारत का नक्शा धूम गया व हृदय को शकशोरने लगा। फिर वहाँ के प्राईमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी कराकर जुलूस के रूप में शिक्षा से सम्बन्धित नारे लगाते हुए, हक-हक कर सभी ग्रामीणों को प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम समझाते हुए, सम्पूर्ण गांव का भ्रमण किया। उसी के मध्य एक ऐसे वृद्ध पुरुष के सभी ने दर्शन किये जिन्होंने कुलपति स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ काम करने का सुअवसर प्राप्त किया। उसके बाद पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री गोविन्द जी व अन्य श्रेष्ठ कार्यकर्त्ताओं ने ज्ञानदार चाय पार्टी का आयोजन किया। तत्पश्चात् स्कूटरो के द्वारा गाजीवाला की ओर सभी ने प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचते ही 'भारत सोने की चिड़िया है' यह नारा नितान्त असत्य प्रतीत होने की आशंका उत्पन्न होने लगी। ग्रामीणों को प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम समझाते हुए जैसे ही आगे बढ़े, एक टूटी-सी चारपाई पर गरीब माँ-बाप की एक सन्तान को देखकर मेरा तो हृदय टीस से भर गया। सभी ने धूम-धूम कर गाँव में प्रौढ शिक्षा का प्रचार किया। फिर सभी ११ बजे के लगभग गुरुकुल कांगड़ी

वापस लौट आये। पुन ३ से ६ बजे शका समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर निष्कर्ष निकाले गये। ६ बजे सभा उत्साह के वातावरण में विसर्जित की गई।

५-८-८४—

प्रशिक्षण शिविर के पाँचवे दिन भी गुरुकुल के पवित्र वातावरण को सराहते हुए, प्रशिक्षकगण ने सभी प्रातःकालीन कृत्यों को उत्साहपूर्वक सम्पन्न किया। प्रातरात्र की परवाहन करते हुए पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रातः सात बजे धीन्धीलरो पर लाउडस्पीकर बाँध कर सर्वप्रथम वेदमन्त्रों से, मानो वातावरण को सात्विक बनाने हुए, गाव में प्रौढ शिक्षा के पैगाम को लेकर उत्साहसम्पन्न वातावरण में चल पड़े। सर्वप्रथम जगज्जीतपुर गाव में जाकर शिक्षा की उपयोगिता को समझाते हुए, गुरुकुल कामठी विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये, भारतीय सरकार के प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को सरल भाषा में व प्रभाव-युक्त शैली में, बाहनों को प्रत्येक चौराहे पर रोक कर, ग्रामीणजनों को समझाकर दूसरे गाव जमालपुर में प्रौढ शिक्षा के प्रति लोगों में दर्शनीय आस्था को उत्पन्न किया। उसके बाद सराय गाव में जाकर प्रशिक्षकों ने उच्च स्वर में उद्घोष किया कि 'लो दुनियाँ वालो जगाने वाले आ गये। घर-घर में प्रौढ शिक्षा फैलाने वाले आ गये'। उसके बाद गाव रोहालकी में जाकर प्रशिक्षकों ने प्रौढ शिक्षा के महत्त्व पर प्रभावोत्पादक भाषण देकर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की भाषा में कहा कि "सबसे प्रथम कर्तव्य है कि शिक्षा बढ़ाना, देश में शिक्षा बिना ही पड़े रहे। आज हम सब-क्लेश में हैं।' गाव रोहालकी में नरेशकुमार आर्य ने गाव के प्रतिनिधि के रूप में प्रौढ शिक्षकों के सम्मान में शानदार चाय पार्टी का आयोजन किया।। सभी प्रशिक्षक ११ बजे गुरुकुल पहुँचे।

६-८-८४—

प्रशिक्षण शिविर के छठे दिन भी सभी प्रशिक्षक प्रातः १० बजे कक्षा में पहुँचे। डॉ० विजयेन्द्र शर्मा, प्रिंसिपल एस० एम० जे० एन० डिग्री कालेज हरिद्वार का राष्ट्रीय एकता पर भाषण हुआ। उन्होंने विभिन्न धर्म, भाषा व संस्कृतियों के कारण भारत को घुन लगे राष्ट्र की सजा दी। सायंकाल ३ से ६ बजे तक डॉ० त्रिलोकचन्द ने प्रौढ शिक्षा के स्वरूप को बताते हुए समस्याओं का निस्तारण किया।

७-८-८४—

सातवें दिन भी प्रातःकालीन दिनचर्या के उपरान्त सभी प्रशिक्षकों ने गांव टिबड़ी व केशवकुञ्ज में रिकशा पर लाउडस्पीकर बाँध कर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को दोनों गाव घूम-घूम कर ग्रामीणजनों को समझाया। ग्रामवासियों में प्रौढ शिक्षा के प्रति चेतना भाषित हो रही थी। १० बजे सभी प्रशिक्षक गुरुकुल वापस पहुँचे।

१०-३० से १२-३० बजे तक श्री सुरेशचन्द्र त्यागी, प्रिंसिपल विज्ञान विभाग ने प्रौढ शिक्षा की समस्या का समाधान सरल तथ्यों के द्वारा किया। श्री त्यागी जी ने अत्यन्त उत्तरदायी तरीके से इस कार्यक्रम को चलाने का निर्देश दिया जो प्रशिक्षकों की समझ में आ गया।

८-८-६४—

आज समापन समारोह वेदमंदिर के भव्य भवन में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ब्रह्मचारी श्री हरिश्चकर व उनके साथियों ने वैदिक गान गाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रशिक्षकों ने मातृभूमि की वन्दना एक गीत गाकर की। मुख्य अतिथि श्री आचार्य प्रियव्रत जी का माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि अग्नेयी शासनकाल से ही शिक्षा का उद्देश्य सर्विस करना रहा है। प्रौढ शिक्षा को वेद-मंत्रों के आधार पर अनिवार्य बताते हुए आचार्य जी ने संकल्प देकर कहा कि इस कार्यक्रम को साहस के साथ चलाना चाहिए। शान्ति-पाठ के बाद प्रशिक्षकों को आशीर्वाद दिया। यह १ अगस्त से चल रहा आयोजन अत्यन्त उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। इसमें उन्नीस प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

संयोजक

प्रौढ शिक्षा-विभाग

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

अनुदान आयोग की अध्यक्ष गुरुकुल में

हरिद्वार, गुरुकुल कामठी विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षको तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा आयोजित सभा में स्वागत-समारोह का उत्तर देते हुए जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी शाह ने स्वामी श्रद्धानन्द की राष्ट्रीय आन्दोलन के मंच से की गई सेवाओं तथा शिक्षा क्षेत्र में दी गई नवीन दिशाओं का उल्लेख करते हुए, गुरुकुल के उद्देश्य को स्पष्ट किया तो तालियों की गड़गड़ाहट में जैसे काल अपनी गति को ही भूल गया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के सुरम्य, शान्त वातावरण को देखकर जहाँ मुझे प्रसन्नता हुई है, वहाँ इसकी शैक्षिक प्रगति तथा स्थायित्व को देखकर भी मुझे सतोष हो रहा है। मेरी इच्छा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी आगामी २५ वर्षों तक की योजनाएँ बनाकर आयोग को दे, हम वरीयता को दृष्टि में रखते हुए इस संस्थान के विकास के लिये हर सम्भव सहायता देंगे। गुरुकुल में प्रारम्भ से ही प्राचीन परम्परा तथा आधुनिकता का, वैदिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान का समन्वय रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक ओर प्राचीन भारतीय विद्याओं के, विशेषतः वैदिक साहित्य के, उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान के अद्वितीय केन्द्र के रूप में जहाँ इसका विकास हो, वहाँ इसमें सगणक विज्ञान के आधुनिकतम पाठ्यक्रमों का भी संपावेश होना चाहिये। प्राचीन दुर्लभ पाण्डु-लिपियों के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयत्न होना चाहिये तथा व्यवसायोन्मुख और प्रसार शिक्षा के लिए कार्य होना चाहिये। अन्य विश्वविद्यालयों से इसका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। अतः उस व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए, इसकी स्थापना के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक योग देना है। उन्होंने आश्वामन दिया कि कन्या गुरुकुल तथा स्त्री शिक्षा के लिये भी आयोग, विश्वविद्यालय को यथासम्भव सहायता देगा।

इससे पूर्व विश्वविद्यालय की प्रगति का विवरण देते हुए कुलपति श्री बलभद्र कुमार हुआ ने, जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित वैदिक कार्यशाला, जीवन-मूल्य और समाज के अन्तः सम्बन्धों पर आश्रित राष्ट्रीय सगोष्ठी, वैदिक योग केन्द्र, कामठी ग्राम विकास योजना तथा गंगा प्रदूषण अध्ययन योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, वही जनोपयोगी दृष्टि से विज्ञान के लिये किये गये कार्यों का भी परिचय दिया। विश्वविद्यालय के प्रकाशनों को देखकर श्रीमती शाह ने सतोष प्रकट किया। स्मरण रहे, पुराविद्याओं की दृष्टि से गुरुकुल का पुस्तकालय उत्तर भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

—मोपाल सिंह

एम० ए० (प्रथम वर्ष)

निकष पर

(पुस्तक-समीक्षा)

पुस्तक-परिचय	—	वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त (तीन भाग)
लेखक	—	आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति पूर्व-कुलपति, गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
प्रकाशक	—	मीनाक्षी प्रकाशन, बेगम ब्रिज, मेरठ
पृष्ठ सख्या (तीनों भाग)	—	१५००
मूल्य	—	२४० रुपये

‘वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त’ नामक प्रस्तुत ग्रन्थ एक अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ है। भारतीय आर्य-परम्परा में सभी ऋषि-मुनि और आचार्य वेद को विविध विद्या-विज्ञानों से युक्त मानते आये हैं। महर्षि व्यास और आचार्य शंकर की सम्मति में तो वेद इतना अधिक ज्ञान-विज्ञान का सागर है कि उन्होंने वेद की विद्यमानता को ईश्वर की सिद्धि में एक युक्ति के रूप में उपस्थित किया है। उनकी सम्मति में वेद का रचयिता सर्वज्ञ परमात्मा ही हो सकता है। मनु ने कहा है कि वेद को जानने वाला व्यक्ति सेनाओं का संचालन और संचालन कर सकता है, राज्यों का संचालन कर सकता है, न्याय-व्यवस्था का संचालन कर सकता है, और सारी धरती के विशाल राज्य का भी संचालन कर सकता है। ऐसा कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, जिसमें वेद के आधार पर और वेद के अपने शब्दों में वेद में वर्णित किसी विद्या-विज्ञान को प्रदर्शित किया गया हो। प्रस्तुत ग्रन्थ में वेद के आधार पर और वेद के अपने शब्दों में वेद में वर्णित राजनीति-विज्ञान को विस्तृत रूप में दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वेद में सर्वांगपूर्ण राजनीति शास्त्र का वर्णन है।

ग्रन्थ के सविधान काण्ड, अभ्युदय काण्ड और प्रतिरक्षा काण्ड में तीन भाग हैं। ग्रन्थ में छोटे माण्डलिक राज्यों से लेकर सारी धरती के चक्रवर्ती राज्य (विश्वराज्य) तक के निर्माण, उनकी ससदों, मन्त्रीमण्डल, चुनाव-पद्धति, प्रजातन्त्र का स्वरूप, न्याय-व्यवस्था, स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार, उदार राजनीति, समाज का सघटन और उसकी आर्थिक व्यवस्था, प्रजाओं के सुख-समृद्धि के उपाय, राष्ट्रवासियों का परस्पर प्रेम सहयोग और सद्भाव, राष्ट्रों को पतन से बचाने के उपाय, सैन्य सघटन, शस्त्र-अस्त्र, और युद्धनीति आदि अनेकानेक विषयों के सम्बन्ध में वेद के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। यह ग्रन्थ लेखक के २५ वर्ष से भी अधिक समय के अध्ययन, अनुसंधान और चिन्तन का परिणाम है, तथा अपने प्रकार का सर्वथा मौलिक और पहला ग्रन्थ है। सारे वैदिक-साहित्य में इस प्रकार का दूसरा ग्रन्थ नहीं है।

वेद में अनेक ऐसे राजनीतिक तत्त्व वर्णित पाये जाते हैं जिनसे आज का राजनीतिक जगत् भी लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिये वेद में एक स्वानं पर कहा गया है कि “जनं बिभ्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माण पृथिवी यथौकसम्, सहस्रः धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव घेनुरनपस्फुरन्ती” अर्थात् यदि कभी किसी राष्ट्र में अनेक भाषाओं को बोलने और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहने लग जायें तो उन्हें इस प्रकार परस्पर प्रेम से मिल कर रहना चाहिये जिस प्रकार एक घर के लोग प्रेम से मिल कर रहा करते हैं। ऐसा करने से राष्ट्र की भूमि राष्ट्रवासियों के लिये धन-सम्पत्ति और कल्याण-मंगल की हजारों धाराओं को बहाने लगेगी, जिस प्रकार दुधारू गाय दूध की धाराएँ बहाती है। भाषाओं और धर्मों के नाम पर बुरी तरह अबान्त और सकट-ग्रस्त आज के भारत के लिये वेद का यह उपदेश कितना सामयिक और उपयुक्त है। इस प्रकार वेद के राजनीति विज्ञान को अपने इस ग्रन्थ में उद्घाटित करने और उसे जनता के सम्मुख लाने के प्रयत्न द्वारा लेखक ने प्राणिमात्र की महानी सेवा की है।

महान् हुतात्मा दिवगत श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के चरणों में बैठकर, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में लेखक ने जो दीर्घकाल तक संस्कृत और वैदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है, उसी का परिणाम यह विशाल मौलिक ग्रन्थ है।

—बलभद्र कुमार हूजा

कुलपति

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

×

×

×

पुस्तक का नाम	—	“संस्कृत काव्यशास्त्र पर भारतीय दर्शन का प्रभाव”
लेखक	—	अमरजीत कौर
प्रकाशक	—	भारतीय विद्या प्रकाशन, १-पू०बी०, जवाहरनगर, बंगलो रोड, दिल्ली—११०००७ (भारत)
संस्करण	—	प्रथम, १९७६
पृष्ठ संख्या	—	२६०
मूल्य	—	४०-०० रुपये

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य संस्कृत-काव्यशास्त्रीय तत्त्वों पर भारतीय दर्शन-पद्धतियों के प्रभाव का आकलन एवं मीमांसा करना है। वस्तुतः संस्कृत-काव्यशास्त्र भारतीय दर्शन की विविध पद्धतियों से प्रभावित रहा है। उसने अनेक दार्शनिक विचारों एवं सिद्धान्तों को अपनी आवश्यकतानुसार ढालकर ग्रहण किया है। अतएव संस्कृत किंवा भारतीय काव्यशास्त्र को भलीभांति हृदयङ्गम करने के लिए भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि का सम्यक् ज्ञान अनिवार्य है। काव्यशास्त्र के प्रसङ्ग में भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि के तन्तु संस्कृत काव्यशास्त्रीय मूल-ग्रन्थों तथा टीका-टिप्पणियों में बिखरे पड़े हैं। मूल-ग्रन्थों तथा टीका-टिप्पणियों में विकीर्ण इस सामग्री के मूल आधार को तत्तद्दर्शनशास्त्र के मूल-ग्रन्थों में खोजकर आधुनिक पाठक के समक्ष उपस्थित करना और उसकी मीमांसा करना अपने-आपमें एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। उदाहरणार्थ, शब्दवृत्तियों को समझने के लिए वाक्यवादो मीमांसकों के वाक्य तथा तात्पर्य के सिद्धान्त का ज्ञान, अनुमान ही में ध्वनि का अन्तर्भाव करने वाले महिमभट्ट एवम् अन्य नैयायिक आचार्यों के हृदयों को समझने के लिए नैयायिकों की अनुमान-प्रक्रिया तथा न्यायशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का सम्यक् बोध, सङ्केतग्रह के प्रसङ्ग में पतञ्जलि, भर्तृहरि आदि शंयाकरणों के जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा के सिद्धान्त, जातिमद्व्यक्तिवादी नैयायिकों की धारणा, जातिवादी मीमांसकों के सिद्धान्त तथा बौद्धों के अपोहवाद का सुपरिचय आवश्यक है। इसी प्रकार रस-सिद्धान्त के सम्यक् अवबोध के लिए साध्य के सत्कार्यवाद, शैवदर्शन तथा वेदान्तदर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान अपेक्षित है। काव्यशास्त्र में व्याकरण-शास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि की उपयोगिता भी कम नहीं है। यद्यपि काव्यशास्त्र को पल्लवित, पुष्पित तथा फलित करने में प्रायः सभी शास्त्रों का न्यूनाधिक योग रहा है तथापि दर्शनशास्त्र तथा व्याकरण ने उसे सर्वाधिक प्रभावित किया है। अतः काव्यशास्त्र पर दार्शनिक प्रभाव का अध्ययन अत्यन्त उपादेय तथा महत्त्वपूर्ण है। काव्यशास्त्र के प्रसङ्ग में भारतीय दर्शन की विविध शाखाओं की पृष्ठभूमि का एकत्र सङ्कलन एवं समालोचन कदाचित् सर्वप्रथम

प्रस्तुत पुस्तक ही में हुआ है, यद्यपि छिटपुट लेख इस विषय में लिखे जाते रहे हैं।

डॉ० अमरजीत कौर की यह पुस्तक पाँच अध्यायों में विभक्त है, जिनके बाद तीन परिशिष्ट, सहायक ग्रन्थसूची एवं नामपदानुक्रमणी दी गई हैं। इसके "साहित्यशास्त्र एव दर्शन" नामक प्रथम अध्याय में लेखिका ने काव्यशास्त्र का तर्कशास्त्र, पूर्वमीमांसा एवम् अन्य दर्शनों से सम्बन्ध निर्दिष्ट कर धर्मकीर्ति, भामह, दण्डी, मुकुलभट्ट, अभिनवगुप्त, महिषभट्ट, भोज, हेमचन्द्र, शौद्धोदनि, अप्पयदीक्षित तथा पण्डितराज जगन्नाथ इन दार्शनिक आलङ्कारिकों द्वारा अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में अपने दार्शनिक चिन्तन का उपयोग सङ्केतित किया है। "रस-विवेचन का दार्शनिक आधार" नामक द्वितीय अध्याय में रस-संज्ञा की औपनिषद् पृष्ठभूमि प्रदान करने के बाद रसनिष्पत्तिविषयक भट्टलोत्पल के उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद, श्रीशङ्कर के अनुमितिवाद, भट्टनायक के भुक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद, रस की साध्यवादी व्याख्या, रसमीमांसा में वेदान्तीकरण, रसस्वरूप और प्रमुख रसों पर दार्शनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया गया है। तृतीय अध्याय "काव्यात्ममीमांसा का दार्शनिक आधार" में दर्शन में आत्मा के विवेचन के सङ्केत के पश्चात् विदुषी लेखिका ने काव्यशास्त्र में काव्यात्मा के रूप में स्वीकृत रीति, ध्वनि, रस, वक्रान्वित तथा औचित्य तत्त्वों के दार्शनिक मूल का सफल अन्वेषण किया है। "शब्दशक्तिमीमांसा का दार्शनिक आधार" नामक चतुर्थ अध्याय में दर्शन में शब्दार्थ-विवेचन के सङ्केत के बाद काव्यशास्त्र में अमिधा तथा सङ्केतग्रह विषयक विभिन्न मतों तथा काव्यशास्त्र द्वारा व्याकरणों के अनुगमन, लक्षणा एवं लक्षणाभेदों और तद्विषयक दार्शनिक मतों, तथा व्यञ्जना की मीमांसा की गई है। व्यञ्जनाप्रसङ्ग में तात्पर्य तथा अनुमितिसिद्धान्त का और अधिक स्पष्ट एवं निष्पक्ष विवेचन अपेक्षित था। "अलङ्कारनिरूपण का दार्शनिक आधार" नामक पञ्चम अध्याय में काव्यशास्त्रगत अलंकार-वर्गीकरण के दार्शनिक आधार के निर्देश के बाद अर्थान्तरन्यास, अर्थापत्ति, अनुमान, अभाव, असङ्गति, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, उपमा, उपमान, एतिहास, काव्यलिङ्ग, जाति, दृष्टान्त, साम्य, वैधर्म्य, परिणाम, परिसंख्या, प्रत्यञ्ज, शब्दप्रमाण, सम्भव, सम्भावना, स्मृति, सशय, सूक्ष्म, स्वभावोक्ति इन अलंकारों की दार्शनिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। परिशिष्टों में प्रथम में काव्यशास्त्र में प्रयुक्त दार्शनिक शब्दावली का परिचय दिया गया है, जो यदि और अधिक विस्तृत रहा होता तो अच्छा होता। द्वितीय में काव्यशास्त्र में उपलब्ध दर्शनशास्त्र की अभिव्यक्तियाँ और तृतीय में काव्यशास्त्र में दर्शनशास्त्र के भावों को अभिव्यक्त करने वाली अभिव्यक्तियाँ सकलित की गई हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में काव्यशास्त्रीय तत्त्वों एवं सिद्धान्तों की दार्शनिक पृष्ठभूमि

का सयत शब्दों में सफल आकलन हुआ है। आशा है यह पुस्तक काव्यशास्त्र-प्रेमी पाठकों को पर्याप्त रुचेगी और अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगी।

पुस्तक का मुद्रण तथा साज-सज्जा भी उत्तम है, जिसका श्रेय कुशल प्रकाशक को जाता है।

—मानसिंह

प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,
संस्कृत विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

× × ×

पुस्तक-परिचय	—	नागार्जुन
सम्पादक	—	डॉ० सुरेशचन्द्र त्यागी
प्रकाशक	—	आशिर प्रकाशन, सहारनपुर
पृष्ठ संख्या	—	२७६
मूल्य	—	४० रुपये

‘नागार्जुन’ अनियतकालीन पत्रिका ‘सम्पर्क’ का विशेषाङ्क है। हिन्दी के प्रख्यात जनवादी कवि वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’ के व्यक्तित्व और कर्तृव्य पर २२ निबन्ध इसमें संकलित हैं। कवि के व्यक्तित्व, जीवनी, काव्य-चेतना, सौन्दर्य-बोध, प्रकृति-प्रियता, उपन्यास, लोकतत्त्व, क्रान्ति-चेतना तथा व्यंग्य-हास्य जैसी काव्यप्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन विभिन्न विद्वानों ने अपने लेखों में किया है।

कवि नागार्जुन पर एक ओर विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे जैसे साहित्यकारों ने तो लिखा ही है, डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, डॉ० प्रेमशंकर, डॉ० विश्वनाथ अय्यर तथा डॉ० विश्वभरनाथ उपाध्याय जैसे रसवादी और जनवादी समीक्षकों ने भी लिखा है। विद्वान् सम्पादक ने विभिन्न लेखकों से लिखवाकर नागार्जुन का समग्र मूल्यांकन एक स्थान पर प्रस्तुत करने का कुशल प्रयत्न किया है।

पत्रिका में दो परिशिष्ट हैं—(१) नागार्जुन का साहित्य, तथा (२) नागार्जुन की कविताएँ। ये दोनों परिशिष्ट शोधार्थियों के लिए उपयोगी हैं। विवेच्य कवि के साहित्य का वर्षक्रम से वर्गीकरण करते हुए रचनाओं का प्रकाशन संस्थान, पृष्ठ संख्या, मूल्य तथा संक्षिप्त प्रतिपाद्य देकर कवि के सुदीर्घ रचना-अन्तराल का परिचय दिया गया है। इस सामग्री से कुछ अज्ञात तथा अल्पज्ञात तथ्यों की प्राप्ति भी होती है। 'युगधारा' का पुनर्मुद्रण १९२२ में हुआ पर इसके प्रथम संस्करण के ज्ञापन से ही प्रतीत होता है कि १९४३ तक कवि 'यात्री' उपनाम से लिखते रहे तथा उनकी प्रथम प्रकाशित रचना 'राम के प्रति' थी जो १९३५ में लाहौर से प्रकाशित साप्ताहिक 'विश्वबन्धु' में छपी थी। मैथिली में प्रकाशित प्रथम रचना 'मिथिला' थी जो १९३० में लहेरिया सराय में छपी थी।

नागार्जुन की कविताओं के वर्णन-वैभव, सांस्कृतिक सम्पदा, शोषण-चक्र, मत्ता की असमति तथा जीवन की प्रगतिशील सामाजिक भूमिका को समझने के लिए इस पुस्तक के लेख अत्यन्त उपयोगी हैं। डॉ० विजयबहादुर सिंह का यह कथन उल्लेखनीय है कि हिन्दी की वामपथी कविता भले ही मुक्तिबोध को कला-गुरु की उपाधि दे किन्तु अनुसरण वह नागार्जुन का ही करेगी क्योंकि नागार्जुन का सर्जक व्यक्तित्व विविधासम्पन्न और लोक की निकटस्थ पहचान से निखरा हुआ है। नागार्जुन ही एक ऐसे कवि हैं जो कभी भी किसी के द्वारा पालतू या सरकारी बनाए जाने की नियति से बच सके हैं। उनकी भाषा-सामर्थ्य पर डॉ० प्रेमचन्द के इस निष्कर्ष से कौन असहमति व्यक्त कर सकता है कि कविता के गद्य का संस्करण बनते हुए समय में नागार्जुन की छंद और लय की सही पहचान विशेष रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है—छंद पर नियन्त्रण की क्षमता। नागार्जुन की कविता भाषा के आभिजात्य को ललकारती हुई आगे बढ़ती है, जिन्दगी के बीच से पाए गए मुहावरे में अपनी बात कहती हुई, और यही हमें आश्वस्त करता है कि उनकी रचनायात्रा स्वयं को निरन्तर सदमों से जोड़ती रहेगी।

प्रेमचन्द की ग्राम्यचेतना को समाजवादी-चेतना में परिणित कर उन्होंने कथा साहित्य की रचना की। उन्होंने बिहार प्रान्त के १९३७-३८ के सशक्त किसान आन्दोलन को निकट से देखा। गोदान की सुषुप्त कृषकचेतना बलचनमा में आकर पूर्ण हृकार के साथ जागृत हुई। जमींदारी के उन्मूलन के बाद कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, पंचवर्षीय योजनाएँ, सहकारी समिति, चक्रबंदी, भूमि सुधार तथा राजनीतिक उथल-पुथल सभी कुछ तो उनके कथा-साहित्य में मिलता है। वर्ग-संघर्ष और सक्रिय नेतृत्व का जो अभाव अन्य प्रगतिशील साहित्यकारों में—विशेषतः प्रेमचन्द में दिखाई पड़ता है—उसको पूर्ति नागार्जुन की रचनाओं

में है। हर्ष है कि इस पुस्तक के लेखकों ने ईमानदारी के साथ नागार्जुन की सामूहिक चेतना के साथ न्याय किया है। यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु तथा रामेश राघव से तुलना करते हुए यथार्थबोध, तीव्रता, सखिलपटा, आक्रोश, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध तथा मध्यकालीन रोमांस, रहस्य तथा हृदयविरोध की दृष्टि से नागार्जुन की प्रतिबद्धता पर, सामाजिक लक्ष्य पूर्ति पर इन लेखकों ने गम्भीर दृष्टि डाली है।

अतः कहा जा सकता है कि नागार्जुन को समग्र रूप से समझने के लिए यह पुस्तक उपादेय है और इस एक कसौटी के आधार पर ही इसकी महत्ता निर्विवाद स्वीकार्य है। यह पुस्तक पुस्तकालयों में खरीदी जानी चाहिए। हिन्दी के अध्येताओं के लिए तो सग्रहणीय है ही। संपर्पशील जनता के विपन्न बहुलाश को तथा उसके सह-संवेदनशील चिन्तकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, स्वयं नागार्जुन के निजी जीवन की यही शक्ति है। बाबा के ही शब्दों में—

जली ठूँठ की डाल पर गई कोकिला फूक
बाल न बाँका कर सकी शासन की बंदूक।

—विष्णुवत्त 'राकेस'

× × ×

पुस्तक का नाम	—	हरियाणा का हिन्दी साहित्य - उद्भव और विकास
लेखक	—	डॉ० शिवप्रसाद गोयल
प्रकाशक	—	नटराज पब्लिशिंग हाउस, करनाल
पृष्ठ	—	१०६
मूल्य	—	४५ रुपये

हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रान्तीय साहित्यकारों के कर्तृव्य का विवरण प्रायः उपलब्ध नहीं होता। इधर हिन्दी में शोधोपाधि सापेक्ष तथा निरपेक्ष, दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न प्रदेशों के योगदान का स्वतंत्र आकलन और विवेचन हुआ है और इस प्रकार सम्पूर्ण देश की एक साहित्यिक चेतना उजागर हुई है। हरियाणा के प्रसिद्ध गद्य-लेखक बाबू बालमुकुन्द गुप्त तथा पण्डित माधवप्रसाद मिश्र की चर्चा प्रायः सभी साहित्यग्रन्थों में उपलब्ध है, किन्तु १२वीं शती से लेकर आज तक के आठ सौ वर्षों के सुदीर्घ अन्तराल में

लिखे गए ग्रन्थों की चर्चा ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में डॉ० गोयल से पूर्व हिन्दी के किसी विद्वान् ने अपने ग्रन्थ में नहीं की। नाथपथी साहित्य, सूफी काव्य, वैष्णवभक्ति काव्य, जैन काव्यद्वारा, संत काव्य, शृंगार काव्य तथा हिन्दी गद्य लेखन की दृष्टि से हरियाणों के साहित्यकारों का विवेचन इस कृति में पहली बार हुआ है। यों डॉ० चन्द्रकांत बाली ने पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास में कुछ साहित्यकारों का परिचय दिया था तथा हरियाणा के हिन्दी-सेवी पुस्तक में शांत शास्त्री ने भी विहगावलोकन किया था पर काल-क्रमानुसार प्रवृत्तिमूलक अध्ययन की दृष्टि से डॉ० गोयल की रचना साहित्यिक जिज्ञासुओं तथा शोधकर्त्ताओं के लिए अधिक उपयोगी है।

सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्येतिहास के विद्वान् डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के इस कथन से हम सर्वथा सहमत हैं कि डॉ० शिवप्रसाद गोयल ने इस पुस्तक की रचना करके हिन्दी साहित्य की—विशेषण हरियाणा के हिन्दी-साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है तथा उन्होंने हरियाणा के अनेक जाने-अनजाने साहित्यकारों की कृतियों का मूल्यांकन करके हरियाणा के गौरव की अभिवृद्धि में योग दिया है। साथ ही मैं यह भी निःसंकोच कह सकती हूँ कि यह रचना हरियाणा के साहित्येतिहास के जिज्ञासुओं एवं शोध-कर्त्ताओं के लिए भी अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

पुस्तक की साज-सज्जा आकर्षक है, कहीं-कहीं छापे की त्रुटियाँ रह गई हैं। आशा है, आगामी संस्करण में ठीक कर दी जायेगी। हिन्दी के उद्भवकाल से ही समानान्तर हरियाणा-साहित्यकारों का लेखन निःसन्देह गौरव की बात है। श्रीधर कवि से लेकर डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा तक का परम्पराबद्ध ऐतिहासिक विवरण जहाँ इस कृति की प्रमुख विशेषता है, वहाँ व्यवस्थित लेखन-योजना तथा स्वच्छ, सरल और सारगर्भ प्रतिपादन-शैली इसकी दूसरी विशेषता है।

डॉ० गोयल इस कृति के लिए बधाई के पात्र हैं। आशा है, निरन्तर वर्धमान हरियाणा-साहित्य का वह आकलन करते रहेगे तथा इस कृति को सर्वांग और अद्यतन बनाने का प्रयत्न करते रहेगे।

—श्रीमती प्रतिमा शर्मा
रिसर्च स्कॉलर (हिन्दी)

पुस्तक का नाम	—	संस्कृत नाटकों का जीव-जगत्
लेखक का नाम	—	डॉ० कृष्ण कुमार
पृष्ठ संख्या	—	२१८
मूल्य	—	८२-०० रुपये
प्रकाशक	—	मयंक प्रकाशन, भूपण भवन, मण्डी बास, मुरादाबाद ।

जीव जगत् का मानव के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, विशेषकर भारतीय संस्कृति में, जहाँ वृक्ष भी देवों का पुत्रत्व प्राप्त कर लेते हैं तथा लताएँ भी अपने स्नेहीजनो के प्रति पुष्प एवं फल प्रदान करती हैं, उस साहित्य में जीव-जगत् के विभिन्न रूपों का निदर्शन स्वाभाविक ही है ।

नाटको में पशु-पक्षियों का वर्णन इतना विशद नहीं हो सकता जितना कि काव्य में या गद्य-साहित्य में इसका अवसर होता है, क्योंकि अभिनेय होने तथा वर्णनात्मक प्रसंगों की न्यूनता के कारण यह कठिन होता है । परन्तु संस्कृत नाटककारों को जहाँ भी इसका जरा-सा भी अवसर प्राप्त हुआ, उसका उन्होंने पूर्ण उपयोग किया है । अतः जन्तुओं के विभिन्न पक्ष दर्शकों के समक्ष स्पष्ट होते चले गये हैं, फिर भी वे अपना इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते कि जो चिरस्थायी हो सके । इस दृष्टिकोण से नाटको के जीव-जगत् को एकत्र करना उपादेय है ।

प्रस्तुत पुस्तक भास से दिङ्नाग पर्यन्त (४०० ई०पू० से १००० ई० तक) लगभग १४०० वर्षों के लम्बे अन्तराल में स्थित ४६ नाटकों के आधार पर लिखी गयी है । ४१ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना, जन्तुओं का मानव से सम्बन्ध, प्राचीन साहित्य में जन्तुओं का उल्लेख, संस्कृत नाटको में जन्तुओं का उल्लेख, जन्तु-विज्ञान, जन्तुओं का वर्गीकरण, जन्तुओं का पालना एवं अलंकरण, जन्तुओं के प्रति धार्मिक आस्थाएँ, मानवीय भावनाएँ, कवि प्रसिद्धियाँ, अलंकारों के रूप में उपमान आदि के माध्यम से प्रयोग, मानव के लिए जन्तुओं का उपयोग, इत्यादि सामग्री के माध्यम से अत्यन्त रुचिकर एवं प्रभावकारी बन पडी है । पुस्तक का उपयोग इस प्रस्तावना से पर्याप्त बड़ा है ।

विभिन्न जन्तुओं के मानवोपयोग पर भी लेखक ने कृषि, भोजन, वस्त्र और अलंकार आदि के माध्यम से संस्कृत नाटको की छवि को उभारा है । अनेक स्थानों पर वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, रामायण एवं महाभारत तथा पुराणों के वाक्यों से उन वर्णनों को प्रमाणित करने का प्रयास किया है । उदाहरणार्थ -

अध्याय मे उनके जीवनी तथा कथापरक साहित्य का मूल्यांकन हुआ है। सप्तम अध्याय मे उनको कहानियों का संक्षिप्त परिचयपूर्वक विस्तृत विवेचन है। अष्टम अध्याय मे उनके काव्यपक्ष तथा भावपक्ष पर विचार हुआ है तथा नवम् अध्याय मे परिव्राजक जी द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार और सेवाएँ शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी और ईसाई प्रचारक, हिन्दी और ब्रह्मसमाज, काशी नागरो प्रचारिणी सभा और हिन्दी सम्मेलन, गुरुकुल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ तथा डी०ए०वी० कालेजो को उनका योगदान, भारतेन्दु और उनका मित्रमण्डल, दक्षिणी भारत तथा पञ्जाब मे उनके द्वारा हिन्दी प्रचार आदि विषयो का प्रतिपादन है। अन्त मे उपसंहार के पश्चात् परिव्राजक जी के साहित्य का काल-क्रमानुसार उल्लेख करते हुए तीन पृष्ठो में सहायक-ग्रन्थो की सूची दी गई है। वस्तुतः लेखक ने परिव्राजक जी के व्यक्तित्व एव साहित्यिक उपलब्धियो का इस पुस्तक मे अधिकारिक विवेचन किया है।

राजपाल एण्ड सन्ज जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशक द्वारा पुस्तक का प्रकाशित करना ही इस बात का द्योतक है कि कार्य अत्यन्त उत्तम तथा जिज्ञासु अध्येताओं के लिए पठनीय तथा सग्रहणीय है। कागज तथा मुखपृष्ठ अत्यन्त उत्कृष्ट एवं आकर्षक बन पड़ा है।

— राकेश शास्त्री
सस्कृत विभाग,
गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय

